हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

24 अगस्त, 2011

खण्ड-2, अंक-3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 24 अगस्त, 2011

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	(3) 29
हरियाणा में पंचायती भूमि को बिना कोई रकम या नाममात्र राशि वसूल किए उपहार में देने सम्बन्धी	
वक्तव्य-	(3) 32
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
सदन की एक समिति का गठन	(3) 53
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3) 54
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3) 54
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(3) 54
विधान कार्य -	(3) 55
1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 2011	(3) 55

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 2011 (3) 57
3. दि हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंगज (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011 (3) 58
वाक आउट (3) 61
विधान कार्य (पुनरारम्भण) (3) 61
4. पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज रोहतक (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011 (3) 63
5. दि हरियाणा स्कूल टीचर्ज सिलैक्शन बोर्ड बिल, 2011 (3) 64
6. दि हरियाणा वैल्यू ऐडेड टैक्स (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011 (3) 69
7. दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011 (3) 71
8. दि पंजाब पैसेन्जर्स एंड गुड्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2011 (3) 78

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 24 अगस्त, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour.

Repair/Four Lane of Road

***736. Shri Rajinder Singh Joon :** Will the PWD(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for repairing / four-lanning the road leading to Kharkhoda Town from Bahadurgarh via Jasore Kheri, if so, the details of the budget estimate alongwith the target date thereof?

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir. The road from Bahadurgarh [NH-10 Assaudha Junction] to Kharkhoda Town via Jasore Kheri is being improved by widening, strengthening and raising. The budget estimate of this work is Rs. 35.57 Crore. The target date of completion is 07.12.2012. However, I also want to point out to my Learned friend that between kilometres 0 to 6.2. There is a status-quo from the court at Sonepat on account of a dispute raised by the villagers and the next date of hearing is 28.08.2011. So, the next date of completion is subject to resolution of the court disputes.

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस सड़क पर मेरे हल्के में जो एरिया पड़ता है उस पर स्टे नहीं है जो सोनीपत का कुछ एरिया है उस पर स्टे है। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे एरिया का जो पोरशन है उसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाये ताकि वहां लोगों को परेशानी न हो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने बिलकुल दुरूस्त फरमाया है कि 11.8 कि.मी. एरिया बहादुरगढ विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और 6.2 कि.मी. एरिया खरखौदा क्षेत्र में पड़ता है जिसमें अदालत ने स्टेट्स क्वो के आर्डर किए हुए हैं। हम इसको परस्यू कर रहे हैं और यह जल्द ही रीजोल्व हो जायेगा। इस पर अनुमानित राशि 35.57 करोड़ रुपये की लगेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको हम नियत तिथि 7.12.2012 तक बना देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-764

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम निवास घोड़ेला सदन में उपस्थित नहीं थे)।

Supply of Water in Distributaries

*761. **Shri Raghubir Singh Tewatia :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that the water is not being supplied in Ballabhgarh and Chhaynsa distributaries in district Faridabad for about 10 years which passes through the area of Prithla; if so, the time by which the water is likely to be supplied upto the tails of aforesaid distributaries?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : No, Sir. Ballabgarh and Chhaynsa distributaries are getting water, though there are issues in feeding the tails, which are being attended to.

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ तथा छायनसा रजबाहों में पिछले दस साल से पानी नहीं पहुंच रहा है। इन रजबाहों में मेरे हल्के पृथला के 11-11 गांव लगते हैं जिसके कारण वहां के किसानों को बहुत नुक्सान हो रहा है इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन रजबाहों पर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाये।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की यह बात बिलकुल सही है कि पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है इसमें कोई दो राय नहीं। बल्लभगढ़ शहर के बीच में से नाला जाता है उसमें कोई पानी नहीं है इसलिए उसका कोई और सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमने दो स्पैशल पम्प मंगवाये हैं जिन्हें उसके ऊपर लगाया जायेगा। हमें उम्मीद है कि इन पम्पों की वजह से पानी ठीक ढंग से टेल तक आ जायेगा।

Mr. Speaker : Yes, Mr. Tewatia.

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : सर, विधानसभा में मेरा यह क्वैश्चन लगने के पश्चात् सम्बंधित विभाग का एस.डी.ओ. मेरे पास आया और मेरे से मौके पर मुआयना भी करवाया गया। परसों उसमें चार जे.सी.बी. काम भी कर रही थी और अगर इसी तेजी से काम चलता रहा तो पानी के टेल तक पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। यह नाला बीच में कटा हुआ नहीं है। इससे पहले डिपार्टमैंट ने कोशिश ही नहीं की। मैंने प्रिवैंसिज कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। बल्लभगढ़ और छायनसा रजबाहों में पानी नहीं है इस वजह से किसानों को बड़ी परेशानी है और अपनी इस परेशानी को लेकर काफी लोग मुझसे लगातार मिलते भी रहे हैं। छायनसा रजबाहे में लगभग बीच तक ही पानी जाता है लेकिन नैंदा, टाली, छायनसा, पटेरना, मोहना, हीरापुर इत्यादि जो गांव हैं वहां पर पिछले 10-11 साल से अभी तक भी पानी नहीं पहुंचा है। वर्ष 1999 में इसको पक्का करवाया गया था और जिस दिन से इसे पक्का करवाया गया है उस दिन से लेकर आज तक इसमें पानी नहीं पहुंचा है। इसलिए मेरी पुन: माननीय मंत्री महोदय जी से गुजारिश है कि इन दोनों रजबाहों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की जल्दी व्यवस्था करवाई जाये ताकि किसानों को अपनी फसल के लिए समुचित पानी उपलब्ध हो सके।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is taking necessary steps to do it.

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने जो बिजली व पानी की चोरी रोकने के लिए नये पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए स्कीम बनाई थी उस स्कीम में क्या प्रोग्रैस है और जो चोरी महकमे के नीचे लैवल के अधिकारी और बेलदार वगैरह करवाते हैं जिन्होंने सारी मोरियों के सिस्टम को खराब कर

रखा है जिसके कारण किसी भी नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का प्रोग्राम बनायेंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि पानी की चोरी होती है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन चोरी को रोकने के लिए गवर्नमैंट ने एक बड़ा कंक्रीट फैसला किया है कि चार थाने केवल बिजली चोरी रोकने के लिए और चार थाने केवल नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए बनाये गये हैं। यह हम भी जानते हैं कि जब तक पानी की चोरी नहीं रूकती तब तक पानी के अंतिम छोर तक पहुंचने में दिक्कत आयेगी ही आयेगी। पानी की चोरी रात को भी हो सकती है क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी नहीं हो सकती लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा थाने बन जायेंगे और पानी की चोरी करने वालों को यह पता होगा कि उनके खिलाफ केस दर्ज़ होगा तो हमें उम्मीद है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि हम टेल तक पानी पहुंचा सकें।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने फरमाया कि चार थाने बनाये गये हैं और उनमें पानी की चोरी के केसिज़ भी दर्ज किये जाते हैं। सर, थाने तो आलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जहां भी इस प्रकार का ऑफैंस होता है वह एरिया किसी न किसी थाने में आता ही है। इरीगेशन विभाग के एस.डी.ओ. और एस.ई. कम्पलेंटस भेजते हैं लेकिन कम्पलेंट्स थानों में ही रह जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी मॉनीटरिंग करेंगे कि आपकी कितनी कम्पलेंट्स थानों में एफ.आई.आरज़. में बदली गई हैं और उन एफ.आई.आरज़. पर क्या एक्शन लिया गया है क्योंकि आज यह पानी की चोरी की प्रदेश के किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है।

Mr. Speaker : This may be a very separate question please.

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में जनरली तौर पर इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि ये वरिष्ठ मंत्री है, एक्सपिरियंस्ड मैम्बर हैं और इससे पहले भी हरियाणा प्रदेश के स्टेट इरीगेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पूरी नॉलेज है। मैं यही चाहता हूं कि जो इस प्रकार की कम्पलेंट्स आयें उनको एफ.आई.आर. में कंवर्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाये और उन पर हर हाल में एक्शन लिया जाये क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महकमा कम्पलेंट करता रहता है और किसान भी कम्पलेंट करते रहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। हमारा क्षेत्र जो कि यमुना-भाखड़ा पूरे सिस्टम का टेल है उस पर पानी न पहुंचने से किसानों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। यहां तक कि इरीगेशन विभाग के चीफ इंजीनियर भी एक्सियन को धमका देते हैं कि why are you using more than six hundred cusecs water as was allotted for you. इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता। इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियों में मंत्री जी क्या एक्शन लेंगे?

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, you may ask comprehensively from the Hon'ble Minister. (Interruption) Anil Dhantori Ji, what do you want to ask?

श्री अनिल धंतोड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और किसान कई-कई फसलें लेते हैं लेकिन वहाँ पर वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दादूपुर नलवी नहर निकाली गई है क्या मेरे क्षेत्र में भी रजवाहे निकालने का कोई प्रावधान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है?

Mr. Speaker : Mr. Dhantori, do you want new water courses?

Shri Anil Dhantori : Yes Sir.

Mr. Speaker : Then you may send the demand to the Minister.

Shri Anil Dhantori : O.K. Sir.

Mr. Speaker : Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, can we have some special kind of Court arrangements for electricity thefts dealing with those cases and irrigation theft cases? Can we have separate police stations for this purpose?

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir, as Hon'ble Minister has pointed out, for theft of water separate police stations have been constituted.

Mr. Speaker : What about separate Courts?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, no separate Courts have been constituted. And if we constitute special Courts then legislation will be required but it's a call that Government would have to take a valuable suggestion that has come from the Chair and we will consider it.

Construction of Bye-Pass

*775. **Shri Dharam Singh Chhoker :** Will the PWD(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass in Sanauli on the road from Panipat to Haridwar?

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, पानीपत से हरिद्वार के रास्ते से राजस्थान का पूरा ट्रैफिक वहाँ से होकर गुजरता है। वहाँ पर सनौली खुर्द गाँव में जाम लग जाता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर कोई बाईपास निर्माण का काम सरकार के विचाराधीन है और अगर है तो वह कब तक बन जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि विलेज सनौली खुर्द में जो कि समालखा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, पानीपत से हरिद्वार सड़क का हिस्सा है जो कि 7 मीटर चौड़ा है। वहाँ पर स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रैफिक है इसलिए सनौली खुर्द के लिए बाईपास के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रश्न आने के बाद भी हमने विभाग से दोबारा सर्वे करवा लिया है, परन्तु विभाग के मुताबिक वहाँ पर बाईपास की जरूरत नहीं है।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, are you talking about Bapoli or Sanouli?

श्री धर्म सिंह छोकर : सर, मैं बापोली से सनौली हो कर गुजरने वाले रास्ते के बारे में बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : खराब बापोली में है या सनौली में?

श्री धर्म सिंह छोकर : सर, हम सनौली खुर्द बाईपास का निर्माण करवाना चाह रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य दिल्ली-बापोली-सनौली सड़क का जिक्र कर रहे हैं तो यह एक पृथक प्रश्न है। माननीय साथी मुझे अलग से नोटिस दे दें हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे।

Mr. Speaker : That is in bad condition.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो पानीपत से हरिद्वार की सड़क है वह ठीक है। सनौली में सात मीटर का रास्ता है। करन्ट ट्रैफिक सैंसस परमिट नहीं करता कि उस गांव के लिए एक और बाईपास बनाया जाए।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ जो कि गेटवे ऑफ हरियाणा है आप भी वहाँ से कई बार गुजरे होंगे, वहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है। वहाँ पर बाईपास का निर्माण हो रहा है। इस समय 4-5 महीने से काम रुका हुआ है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह काम क्यों रुका हुआ है और अगर शुरू होगा तो कब तक शुरू होगा ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you may comprehensively answer this question. Let Mr. Dangi also to say something.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, रोहतक से हिसार सड़क पर जो गाँव पड़ते हैं जैसे बहुअकबरपुर वहाँ पर रोड को फोरलेन बनाया गया है तो क्या बाकी गाँवों जैसे मदीना, खरकड़ा आदि में भी इस सड़क को फोरलेन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार का है?

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रोहतक से महम रोड की 6 लेनिंग का काम किस कारण से डिले हुआ है और यह रोड़ कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह तीन सैपरेट प्रश्न हैं। जहां तक छोकर साहब के प्रश्न का उत्तर है यह नेशनल हाई वे-10 है और इसको नेशनल हाई वे अथोरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। बहादुरगढ़ बाईपास 13.35 किलोमीटर लम्बा है और 110 करोड़ रुपये की लागत इस पर आएगी। इस बारे में जो जानकारी मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग अथोरिटी से उपलब्ध हुई है उसके अनुसार कुछ लिटीगेशन थी। इनके बारे में विधायक जी को भी पता है। सर, कुछ इशुज थे जो अब शोर्टआउट कर लिए गए हैं। इसी साल 31 दिसम्बर, 2011 तक हमें उम्मीद है कि बहादुरगढ़ का बाईपास चालू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जो दांगी साहब का है उन्होंने रोहतक से हिसार रोड पर जो गांव पड़ते हैं उनकी फोरलेनिंग के बारे में कहा है। इनकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पर पूरी सड़क रोहतक टू हिसार को फोरलेनिंग करके हाई-वे बनाने की जरूरत है। यह सड़क भी राष्ट्रीय राजमार्ग अथोरिटी के अधीन आती है। हमने उन्हें मूव किया हुआ है। वहां पर उन्हें ट्रैफिक सैंसस में कुछ समस्या आ रही थी इसलिए उन्होंने इसको टेकअप नहीं किया। रोहतक-दिल्ली रोड आलरेडी इस समय बन रही है और रोहतक-जींद रोड को टेकअप किया हुआ है। मामला उनके पास विचाराधीन है। हमने एग्जस्टिंग सड़क की फोरलेनिंग भी जगह-जगह पर करवायी है और बाकियों में जहां जरूरत है वहां भी करवा रहे हैं। सर, मैं भी वहीं से गुजरता हूं इसलिए मुझे पता है कि वहां पर दोनों तरफ ग्रामीणों को समस्या है इसलिए कई गांवों के बाईपास बनाने की भी बात है। सर, जब एक कम्प्रिहैंसिव प्रोजैक्ट बनेगा उसी के अंतर्गत यह हो जाएगा। जैसे दांगी साहब ने कहा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस दौरान हम यह देखेंगे कि क्या हम स्टेट बजट से या केन्द्रीय सरकार से कहकर इन गांवों के पोरशन की फोरलेनिंग करवा सकते हैं या नहीं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंचकुला टू साहा, साहा टू यमुनानगर और साहा टू जी.टी. रोड पर फोरलेनिंग का काम काफी देर से अनाउंस हो रखा है लेकिन वह अभी तक वहीं पर रुका हुआ है। कब तक इस काम में तेजी आ जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, यह रोड हमारी स्टेट कैपीटल को जोड़ती है। इसके अलावा क्या जगाधरी रोड टू जी.टी. रोड अम्बाला को बाईपास करने की भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है। इसकी हैंडिंग इंफोर्मेशन इस समय मेरे पास नहीं है। पंचकुला टू यमुनानगर जो नेशनल हाई वे है, का प्रोजैक्ट हम मंजूर करवाकर लाए थे। परसों ही इस बारे में हमने यहां के एन.एच.ए.आई. के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग ली है। अब वह इसके ऊपर तेजी से काम करना शुरू करेंगे। उनके कुछ एलाइनमैंट इशुज थे। पंचकुला से आगे, रामगढ से आगे जब मुड़ते हैं तो वहां पर कुछ एलाइनमैंट के इशुज आबादी की वजह से आ रहे थे। हम यह चाहते थे कि मिनीमम आबादी डिस्टर्ब हो और किसी के मकान ऐक्वायर करके न गिराए जाएं। इसका रास्ता अब निकाल लिया गया है इसलिए उसके ऊपर अब तेजी से काम शुरू हो जाएगा। जहां तक जगाधरी रोड की बात है इसके बारे में इस समय इंफोर्मेशन मेरे पास नहीं है लेकिन अगर विज साहब मुझे लिखकर भिजवा देंगे तो मैं चैक करके बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक ऐडीशनल जानकारी और मेरे पास अभी आयी है। पंचकुला से यमुनानगर रोड की एलाइनमैन्ट को हम फाईनल कर रहे हैं। एन.एच.ए.आई. दो बार इसकी बीडिंग करवा चुकी है लेकिन दोनों बार उनकी वह बीडिंग सक्सैसफुल नहीं आयी है क्योंकि कसैंसनेयर कोई नहीं आया है। अभी मुझे इंफोर्मेशन दी गयी है Let me put the record straight. अभी उन्होंने यह मामला कोस्ट रिवीजन के लिए जो उनकी कमेटी है उसको भेजा हुआ है। हम इसी हफ्ते जब उनके पास दोबारा जाएंगे तो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से इस मामले को परस्यू करके इसको बहुत जल्द चालू करवाएंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है। पूरे क्षेत्र की प्रगति में यह मील का पत्थर साबित होगा इसीलिए मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के पास जाकर इसकी अनुमति लेकर आए हैं।

Mr. Speaker : Kavita Ji, I am allowing you because I expect that you will be asking question about Sonepat.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार विधान सभा में मुख्यमंत्री जी से पूछा है। अब फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सोनीपत शहर में चारों तरफ कोई बाईपास नहीं है जिसके कारण सोनीपत शहर में 12 घण्टे तक जाम की स्थिति बनी रहती हैं। इस बारे मे सोनीपत की सामाजिक संस्थाओं ने समय-समय पर माननीय मंत्री जी को मिमोरैन्डम दिए हैं। माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायें कि इस समस्या का समाधान कब तक हो जायेगा ?

Mr. Speaker : You send one memorandum to me.

Smt. Kavita Jain : Yes, Speaker Sir. लेकिन इस बारे में भी मंत्री जी भी अपना वक्तव्य दें और बतायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब से इस विधान सभा का गठन हुआ है तभी से माननीय सदस्या यह महत्वपूर्ण मांग उठाती रही हैं। मुझे याद है कि आपने भी अध्यक्ष की कुर्सी से इस बात पर गंभीर चिन्तन जाहिर किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस आर.ओ.बी. की बात को लेकर बहुत चिन्तित थे। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की भी उस आर.ओ.बी. को बनाने में बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी परन्तु कई लोग उसके अन्दर डिस-लोकेट होते थे। जैसा कल हिसार के बारे में चर्चा हो रही थी। सोनीपत का तो हिसार से और ज्यादा मुश्किल है। परन्तु वह सारी चीजें इसमें हल करके हम भारत सरकार से आर.ओ.बी. बनाने की मन्जूरी लेकर आये हैं। जैसे ही यह आर.ओ.बी. बनकर तैयार हो जायेगा तो मुझे लगता है कि सोनीपत शहर की ट्रैफिक की काफी समस्या हल हो जायेगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि as a part of future planning, we should consider another by-pass which should connect National Highway from this side i.e. from Jind-Gohana road also so that the whole traffic does not cross through the city. We should consider it. Your suggestion is well noted and we will accordingly try and put it as a part of our futuristic plans.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, may I ask you a question myself?

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes Sir, Chair always has the right to give suggestion and to ask Government for any additional information.

Mr. Speaker : This Government has approved Sonipat-Purkhash ROB. When do you think the same can start?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I can find out that since the information is not readily available with me. I could find out and let the Chair know.

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर सर, आप भी पानीपत शहर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जी.टी.रोड पर एक संजय चौक है वहां से सनौली रोड़ को एक सड़क निकलती है वह इतनी कन्जैस्टिड है कि लोकल ट्रैफिक भी वहां से ठीक ढंग से नहीं निकल सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी स्कीम बनायेंगे कि उस रोड की वाईडनिंग करके ट्रैफिक समस्या को प्रोपरली कन्ट्रोल किया जा सके क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, पानीपत शहर में हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। आदरणीय सदस्य भी वहां के काम में बहुत रुचि रखते हैं इसलिए वे भारत सरकार के पास हमारे साथ गये थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं वहां पर आये। पानीपत की पैरीनियल प्रॉब्लम थी वह यह थी कि पूरे नेशनल हाई-वे पर प्रदूषण और ट्रैफिक की जाम की स्थिति बनी रहती थी इसीलिए सबसे पहले लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से जो पानीपत का एक ऐलीवेटिड कॉरीडोर बनाया गया था वह अपने आप में इंजीनियरिंग का इस क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण था। उसके साथ-साथ पानीपत से रोहतक की जो सड़क है उसके बारे में मैंने कल ही जब श्री बी.बी. बतरा साहब ने इस बारे में प्रश्न पूछा था तब उसमें भी जवाब दिया था। जहां तक अगर मुझे सही आंकड़ा याद है तो उसमें लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से फोर लेन की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। उससे पानीपत आने-जाने वाले लोगों को और पानीपत तक और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

उससे आगे जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसमें तकरीबन सभी गांवों और शहर के बीच में जो उनके बाई-पासिज आयेंगे, वे भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एथोरिटी जो है वह 5.5 किलोमीटर लम्बा पानीपत शहर का बाईपास जो इस समय निमार्णाधीन है उसे 50 करोड़ रुपये की लागत से बना रहा है। इन सारी बातों के बावजूद पानीपत शहर हमारे प्रान्त का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है। यह सच है कि संजय चौक पर जो भी यात्री आगे जाते हैं उनको वहां काफी दिक्कत है। परन्तु एक और वास्तविकता है कि संजय चौक के चारों तरफ काफी आबादी भी है। विधायक जी वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं सबसे सीनियर विधायकों में से हैं। ऐसे सभी केसिज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि जो स्थानीय लोगों के सैंटीमैंट्स हैं उनको भी कन्सीडर कर लें और विधायक जी, आप भी इसमें हमें सहयोग दें क्योंकि जो स्थानीय नुमाईंदें हैं हमें उनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इससे दुकान, मकान या दूसरे व्यवसाय वाले काफी प्रभावित होंगें। It will need land acquisition and while it is a costly affair, which the Government will meet up. But the second issue is that of livelihood of people and taking them out of that area so that demolition can be done to broaden that area. मैं माननीय सदस्य जी से अलग से इस बारे में चर्चा कर लूंगा और जैसी इनकी गाइडैंस होगी और जैसी हमारे इंजीनियर्स राय देंगें हम उस पर निर्णय ले लेंगें।

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सड़क के साइडों में जो इन्क्रोचमैंट है उसको हटवाने की वे कार्यवाही करवा दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्क्रोचमैंट को बी.एण्ड आर. डिपार्टमैंट नहीं हटाता। मैं रेहड़ियों और दूसरी इन्क्रोचमैंट से सहमत हूं इसलिए मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि वे म्युनिसिपल कारपोरेशन और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देकर रेहड़ियों और दूसरी इन्क्रोचमैंट्स को हटवाएं। ये सारी रेहड़ियां और दूसरी इन्क्रोचमैंट्स हट जाएंगी तो सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर सडक को चौड़ा कर देंगें तो ये रेहड़ियां वगैरह फिर खड़ी हो जाएंगी और स्थिति वैसे की वैसे हो जाएगी।

The Status of Chaudhary Devi Lal University

***674. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the detail of status of Chaudhary Devi Lal University, Sirsa in the year 2005 in respect of faculty, infrastructure and finances; and

(b) the status of the aforesaid university in the year 2011 in respect of finances infrastructure and opening of new faculties etc.?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

1. Status of faculty, infrastructure and finances in the year 2005

(a) Faculty

In the year 2005, a total number of 11 faculties as mentioned below were functioning in Chaudhary Devi Lal University, Sirsa:—

S.No.	Faculties in 2005
1	Faculty of Arts and Languages
2	Faculty of Social Sciences
3	Faculty of Life Sciences
4	Faculty of Education
5	Faculty of Physical Education
6	Faculty of Indic Studies
7	Faculty of Engineering & Technology
8	Faculty of Law
9	Faculty of Commerce and Management
10	Faculty of Ayurvedic Medicine
11	Faculty of Medical and Dental Sciences.

(b) Infrastructure

Status of infrastructure as in the year 2005 is given as below:—

Sr. No.	Description	Status of Infrastructure projects up to year 2005	Expenditure incurred (in lakh)
1	Teaching Block No. I	Completed	346.89
2	Boys Hostel No. I	Completed	106.94
3	Girls Hostel No. I	Completed	208.18
4	3 Nos. E-type Houses	Completed	29.98
5	8 Nos. D-type Houses	Completed	54.77
6	12 Nos. C-type Houses	Completed	59.08
7	12 Nos. H-type Houses	Completed	31.75

8	Office for construction branch and store	Completed	21.17
9	Parking near Teaching Block-I	Completed	6.88
10	Main Entrance Gate at CDLU, Sirsa	Completed	2.63
11	Boys Hostel No. 2 and Girls Hostel No. 2	In progress	–
12	V.C. Residence and Guest House	In progress	–
13	Bituminous Macad. Road in CDLU, Sirsa	In progress	–
14	Extension of Tagore Bhawan Teaching Block No. 1	In progress	–
15	3 Nos. E-2 type Houses and boundary wall	In progress	–
		Total	**868.27**

(c) Finances

Rs. 200.00 lakh were granted to Chaudhary Devi Lal University, Sirsa as Grant-in-Aid on Plan side in the year 2005-06.

2. Status of faculty, infrastructure and finances in the year 2011

(a) Faculty

In the year 2011, total 9 faculties as mentioned below are functioning in Chaudhary Devi Lal University, Sirsa :—

S.No.	Faculties in 2011
1	Faculty of Humanities
2	Faculty of Social Sciences
3	Faculty of Life Sciences
4	Faculty of Education
5	Faculty of Physical Sciences
6	Faculty of Engineering & Technology
7	Faculty of Law
8	Faculty of Commerce and Management
9	Faculty of Medical and Allied Sciences.

(b) Infrastructure

Status of infrastructure in the year 2011 is given as below:—

Sr. No.	Description	Status of Infrastructure projects after 2005 & upto 2011	Expenditure incurred (in lakh)
1	Boys Hostel No.2 and Girls Hostel No. 2	Completed	477.35
2	V.C. Residence and Guest House	Completed	228.79
3	Bituminous Macad. Road in CDLU, Sirsa	Completed	64.03
4	Extension of Tagore Bhawan (Teaching Block No.1)	Completed	53.29
5	3 Nos. E-2 type Houses and boundary wall	Completed	90.75
6	Landscaping front side of V.C. Residence & Guest House	Completed	4.08
7	Car Shed near Guest House	Completed	7.65
8	Parking near in 8 D-Type Houses	Completed	2.08
9	Car Garage in C-type Houses	Completed	2.50
10	Boundary Wall around V.C. Residence	Completed	15.05
11	Internal Roads of the University	Completed	31.64
12	Store for General Branch & two rooms for Construction Branch	Completed	12.21
13	6 Nos. E-type Houses	Completed	108.47
14	16 Nos. D-type Houses	Completed	231.26
15	12 Nos. C-type Houses	Completed	125.77
16	12 Nos. H-type Houses	Completed	72.25
17	Providing/Installation of D.G. set in Admn. Block and V.C. Residence	Completed	16.59
18	Waiting Room, Guard Room and 3 Nos. Car Garages	Completed	12.73
19	Providing and installation of 160 KVA outdoor sub-station and extension of 11 KV A line	Completed	13.46

1	2	3	4
20	Various playgrounds	Completed	12.48
21	Teaching Block No.2 (Sc. Block)	Completed	1067.93
22	Providing water supply and sewerage system	Completed	162.41
23	Over Head Service Reservoir (454000ltr)	Completed	39.00
24	Water Treatment Plant (2.75 MLD)	Completed	49.40
25	Media Centre	Completed	84.21
26	Main Gate towards southern side of the University	Completed	97.99
27	Sewage Treatment Plant (1 MLD)	Completed	105.70
28	Air Conditioning work in Media Centre	Completed	21.02
29	Interior work in Media Centre	Completed	55.08
30	Plantation of 7000 nos. Trees	Completed	10.90
31	Boundary Wall on undisputed land	Completed	12.19
32	Providing, installation & commissioning of 315 KVA outdoor sub station & extension of 11 KV line in the campus of CDLU	Completed	14.67
33	Providing, installation & commissioning of Street Light around Admn. Block, Teaching Block No. II, Library Building etc at CDLU	Completed	46.56
34	Library Building	Completed	1335.98
35	Shopping Complex	Completed	264.49
36	3 Nos. Servant Quarters & One garage near Vice Chancellor's Residence at CDLU	Completed	8.59
37	3 Nos. F-type Houses	Completed	73.85
38	Administrative Block(Sc. Block)	In progress	788.92
39	Multi-Purpose Hall	In progress	997.58
40	Internal roads (Phase-II) and Parking	In progress	137.79
41	House for Executive Engineer	In progress	11.87
		Total	**6968.56**

(c) Finances

Rs. 1400.00 lakh were granted to Chaudhary Devi Lal University, Sirsa as Grant-in-Aid on Plan side in the year 2010-11.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये मोटा-मोटा बताएं कि इस यूनीवर्सिटी का 2005 में फैक्लिटी स्टेट्स क्या था और 2011 में क्या है? यूनीवर्सिटी की ग्रेडिंग यू.जी.सी. के मुताबिक 2005 में क्या थी और 2011 में क्या है? यह यूनीवर्सिटी रैजीडैंशियल तक ही सीमित है या इसका स्फीयर बढाया भी जा रहा है?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Sir, in the year 2005, 11 faculties were functioning in Chaudhary Devi Lal University, Sirsa:-

1. Faculty of Arts and Languages
2. Faculty of Social Sciences
3. Faculty of Life Sciences
4. Faculty of Education
5. Faculty of Physical Education
6. Faculty of Indic Studies
7. Faculty of Engineering and Technology
8. Faculty of Law
9. Faculty of Commerce and Management
10. Faculty of Ayurvedic Medicine
11. Faculty of Medical and Dental Sciences.

In the year 2011, 9 faculties are functioning in Chaudhary Devi Lal University, Sirsa:—

1. Faculty of Humanities
2. Faculty of Social Sciences
3. Faculty of Life Sciences
4. Faculty of Education
5. Faculty of Physical Sciences
6. Faculty of Engineering & Technology
7. Faculty of Law
8. Faculty of Commerce and Management
9. Faculty of Medical and Allied Sciences.

Faculty of Ayurvedic Medicine and Faculty of Indic Studies were discontinued as the resolution passed by the Executive Council held on it.

Status of infrastructure in the year 2005 :

1. Teaching Block No.I
2. Boys Hostel No.I
3. Girls Hostel No.I
4. 3 Nos. E-type Houses
5. 8 Nos. D-type Houses
6. 12 Nos. C-type Houses
7. 12 Nos. H-type Houses
8. Office for construction branch and store
9. Parking near Teaching Block-1
10. Main Entrance Gate at CDLU, Sirsa
11. Boys Hostel No.2 and Girls Hostel No.2
12. V.C. Residence and Guest House
13. Bituminous Macad. Road in CDLU, Sirsa
14. Extension of Tagore Bhawan (Teaching Block No.1)
15. 3 Nos. E-2 type Houses and boundary wall

Status of infrastructure in the year 2011 :

1. Boys Hostel No.2 and Girls Hostel No.2
2. V.C. Residence and Guest House
3. Bituminous Macad. Road in CDLU, Sirsa
4. Extension of Tagore Bhawan (Teaching Block No.1)
5. 3 Nos. E-2 type houses and boundary wall
6. Landscaping front side of VC Residence and Guest House
7. Car Shed near Guest House
8. Parking near in 8 D-type houses
9. Car garage in C-type houses
10. Boundary wall around V.C. Residence
11. Internal roads of the University
12. Store for General Branch & two rooms for construction branch.

13. 6 Nos. E-type houses

14. 16 Nos. D-type houses

15. 12 Nos. C-type houses

16. 12 Nos. H-type houses

सर, लिस्ट इस समय सदन के पटल पर रखी हुई है जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जहां तक कंपैरेटिव खर्चे की बात है, वर्ष 2005 तक टोटल 868.27 लाख रुपये उन्होंने खर्च किए और हमारी सरकार ने वर्ष 2011 में 6968.56 लाख रुपये इन्फ्रास्ट्रैक्चर आदि पर खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के लिए चौ० देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा विश्वविद्यालय के लिए योजना पक्ष पर 1400 लाख रुपये की सहायता राशि आरक्षित की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं और हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। आज शिक्षा की दौड़ केवल हमारे प्रदेश या देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चल रही है। राईट टू एजूकेशन एक्ट आने की वजह से छोटे बच्चों और सभी को शिक्षा का अधिकार मिल गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं उनमें फैकल्टीज और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवैल्प करने का काम किया है। चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा जो कि एक स्वायत्तपोषी संस्था है जिसकी स्थापना चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के 2003 के एक्ट 9 के अधीन की गई है। वर्ष 2005 में वहां 11 फैकल्टीज थी और इस समय university is offering education in 9 faculties namely Humanities, Social Sciences, Life Sciences, Education, Physical Sciences, Engineering and Technology, Law, Commerce and Management and Medical and Allied Sciences. इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया आयुर्वेदिक मैडीसंज तथा इंडीक स्टडीज को डिसकन्टीन्यू कर दिया गया है। In the year 2005-06 there were 1384 students on the roll of the University and at present 3458 students are on its roll. In the year 2005 there were only 2 Professors, 9 Readers and 30 Lecturers. But in the year 2011, there are 8 Professors, 16 Readers and 49 Lecturers imparting instructions in various subjects. Speaker Sir, in the year, 2005 only 42 non-teaching employees were working on regular basis in the University and presently this number has risen to 158. The University started offering distance education in the year 2006 and has 919 students enrolled in various courses at present. एक और बहुत बड़ी डिवैल्पमैंट सरकार की हुई जिसमें the State Government vide notification dated 4th July, 2011 has authorized Chaudhary Devi Lal University, Sirsa to exercise its powers over the Government and Non-Government Colleges situated in the districts of Sirsa and Fatehabad, जिनकी संख्या करीबन 44 है जो इस यूनिवर्सिटी से एफीलियट हो रहे हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, I would like to know, how much money was spent before 2005 and how much is spent after that?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Sir, I have already given the reply in this regard.

Mr. Speaker : But I want to know the composite figures.

श्रीमती गीता भुक्कल : सर, इन्फ्रास्ट्रैक्चर आदि पर वर्ष 2005 तक केवल 868.27 लाख रुपये खर्च हुए और वर्ष 2011 में इन्फ्रास्ट्रैक्चर आदि सब कुछ डिवैल्प करने पर 6968.56 लाख रुपये हमारी सरकार द्वारा खर्च किए गए।

Mr. Speaker : Were there any college attached to this University before 2005?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : No Sir. Now just we have taken a decision to affiliate some of the colleges with Sirsa University and 44 colleges are affiliated with the University. These have been affiliated this year only.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय 2005 में हमारी सरकार बनी उस समय हमने उस यूनिवर्सिटी से कुछ कालेजिज को एफीलियट करने का प्रयास किया लेकिन उस यूनिवर्सिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। वहां केवल 7-8 कमरे थे और यूनिवर्सिटी का इन्फ्रास्ट्रैक्चर भी नहीं था जिसके कारण स्टूडैंट्स ने रैजिस्ट किया कि हम एफीलियशन नहीं चाहते। हमने वहां पर पांच साल में पूरा यूनिवर्सिटी का इन्फ्रास्ट्रैक्चर तैयार किया है और अब बच्चे एफीलियशन करवाने को तैयार हैं।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, I want to know what is the presently grading of this University given by the U.G.C.?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, do you have any grading of this University.

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Sir, at present I can't say anything on this. यह सैपरेट क्वैश्चन है इसलिए माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोटिस दें तो उनको वांछित जानकारी अविलम्ब उपलब्ध करवा दी जायेगी। सर, इसके अलावा मैं इस सम्बन्ध में कुछ एडीशनल इन्फर्मेशन देना चाहूंगी जो सिरसा और फतेहाबाद के कालेज चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा के साथ एफीलियेट हुए हैं उनमें से तीन गवर्नमैंट कालेज सिरसा के हैं, चार फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके अलाव गवर्नमैंट एडिड कालेज चार सिरसा के हैं और एक फतेहाबाद का है। इसी प्रकार से सैल्फ फाईनैंसिंग के 6 कालेज सिरसा जिले के हैं और एक फतेहाबाद जिले का है। इसी प्रकार से बी.एड के 13 सिरसा जिले के हैं और 12 फतेहाबाद जिले के हैं इस प्रकार से कुल 44 कालेजिज हैं जो चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी के साथ इस साल से एफिलियेटिड हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं सवाल पूछने से पहले माननीय एजुकेशन मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे एरिया में तत्कालीन गवर्नमैंट द्वारा नाम के लिए यूनिवर्सिटी बना दी गई थी। जैसे अभी बताया गया कि उस समय सिर्फ 8 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और अभी प्रेजैंट गवर्नमैंट ने 60 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं और अभी आगे प्रोजैक्ट्स भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि कैम्पस बनने के कारण यह यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के प्रॉपर रूप में स्थापित हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा मंत्री महोदय द्वारा अभी एफीलियेशन का जिक्र किया गया। मैं इस बारे में अपनी एक सुजैशन देना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटी बनी तब भी एफीलियेशन की गई थी लेकिन वह हैपज़र्ड-वे में कर दी और सारे कालेज नीचे कर दिये गये थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो बच्चे यह चाहते थे कि

उनको डिग्री कुरुक्षेत्र, रोहतक या चण्डीगढ़ से मिले अब सिरसा नाम जुड़ने से उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जायेगी। मैं यह चाहता हूं कि पहले जो आप करें यह फर्स्ट ईयर के लिए करें उसके बाद सैकिण्ड ईयर या थर्ड ईयर के लिए करें लेकिन जो थर्ड ईयर में हैं उनका एग्जाम आप सिरसा यूनिवर्सिटी में न लेकर उनका एग्जाम उस यूनिवर्सिटी को लेने दें जो पहले ले रही है अर्थात् फर्स्ट ईयर से शुरू करें कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम वहां पर होगा। इसी प्रकार से सैकिण्ड और थर्ड ईयर के एग्जाम भी सिरसा यूनिवर्सिटी द्वारा लिये जायें और सर्टीफिकेट दिये जायें क्योंकि सर्टीफिकेट की वैल्यू होती है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, there is no need to reply because it is a suggestion. Next question please.

Setting up of Power Sub-stations

***750. Smt. Sumita Singh :** Will the Power Minister be pleased to state the total number of new Power Sub-stations set up, the number of Power Sub-stations upgraded togetherwith the number of new Power Sub-stations proposed to be set up in District Karnal and Karnal Assembly Constituency during the period from 2005 to the current financial year?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

A. District Karnal

In Karnal District, 32 new substations with associated lines have been constructed and 34 existing substations augmented from March, 2005 to 15th August, 2011 as per the details given below:—

Sr. No.	Name of Substation	Capacity added in MVA
I. New Substations		
	220KV Substation	
1.	220KV Substation Unispur (Nilokheri)	216
2.	220KV Substation Bastra	104
	132KV Substation	
1.	132KV Substation Bhadson	16
2.	132KV Substation Nagla Megha	32
3.	132KV Substation Nidana	25
4.	132KV Substation Dabri	25
5.	132KV Substation Rambha	50

1	2	3
6.	132KV Substation Sitamai	25
7.	132KV Substation Biana	25
8.	132KV Substation Staundi	25
	33KV Substation	
1.	33KV Substation Salwan	8
2.	33KV Substation Thal	8
3.	33KV Substation Shamgarh	8
4.	33KV Substation S-12 HUDA, Karnal	5
5.	33KV Substation S-6 HUDA, Karnal	5
6.	33KV Substation Budhanpur	8
7.	33KV Substation Chor Karsa	5
8.	33KV Substation Brass	8
9.	33KV Substation Bahari	8
10.	33KV Substation Popra	8
11.	33KV Substation Dabarthala	8
12.	33KV Substation Rindle	10
13.	33KV Substation Shah pur	10
14.	33kV Substation Barota	10
15.	33KV Substation Sekhpura	10
16.	33KV Substation Sector-12, Karnal	5
17.	33KV Substation Gullarpur	8
18.	33KV Substation Raipur Jattan	10
19.	33KV Substation Chochra	10
10.	33KV Substation Kaimla	10
21.	33KV Substation Sitamai	8
22.	33KV Substation Dadlana	8
II.	**Augmentation**	
	220KV Substation	
1.	220KV Substation Nissing	100
2.	220KV Substation Bastara	100
	132KV Substation	
1.	132KV Substation Assandh	25
2.	132KV Substation Newal	20

1	2	3
3.	132KV Substation Sagga	25
4.	132KV Substation Munak	9
5.	132KV Substation Indri	16
6.	132KV Substation Bhadson	16
7.	132KV Substation Gharaunda	25
8.	132KV Substation Jalmana	20
9.	132KV Substation Biana	25
	33KV Substation	
1.	33KV Substation Kutail	4
2.	33KV Substation Kohand	4
3.	33KV Substation Kohand	3
4.	33KV Substation Kutail	3
5.	33KV Substation Nagla	1
6.	33KV Substation Nalipar	3
7.	33KV Substation Old Power House, Karnal	3
8.	33KV Substation Garhi Birbal	3
9.	33KV Substation Garhi Birbal	3
10.	33KV Substation S-12, Karnal	8
11.	33KV Substation HSIDC S-3, Karnal	4
12.	33KV Substation Old Power House, Karnal	5
13.	33KV Substation S-6, Karnal	8
14.	33KV Substation Nigdhu	5
15.	33KV Substation Salwan	10
16.	33KV Substation Ballah	5
17.	33KV Substation Ramba	5
18.	33KV Substation Dacher	5
19.	33KV Substation Salwan	2
20.	33KV Substation Budhanpur	6.3
21.	33KV Substation Nalipar	4
22.	33KV Substation Sector-12, Karnal	8
23.	33KV Substation Tarori	2
III.	**Transmission Lines**	**377.531 Km**

In order to strengthen the transmission and distribution system in District Karnal, 8 new substations, augmentation of 13 existing substations and erection of 72.4 Km transmission lines stands approved and are in various stages of execution as per the details given below :—

Works proposed to be completed/started in current financial year

Sr. No.	Name of substation	Capacity in MVA	Status
I	**New Substations**		
	220 KV substation		
1.	220 KV substation Mundh	125	To be started in the current Financial Year
	132 KV substation		
1.	132 KV substation Ballah	50	To be completed in the current Financial Year
	33 KV substation		
1.	33 KV substation Kalram	10	To be completed in the current Financial Year
2.	33KV substation Dabri	10	To be completed in the current Financial Year
3.	33KV substation Hansi Road Karnal	10	To be completed in the current Financial Year
4.	33KV substation Rasulpur Kalan	10	To be completed in the current Financial Year
5.	33KV substation Darar	10	To be started in the current Financial Year
6.	33KV substation Picholia	10	To be started in the current Financial Year
II.	**Augmentations**		
	132 KV substation		
1.	132 KV substation Shekhpura Jagir	25	To be completed in the current Financial Year
2.	132 KV substation Jundla	5	To be completed In the current Financial Year
	33 KV substation		
1.	33 KV substation Manjura	8	To be completed in the current Financial Year

1	2	3	4
2.	33 KV substation Shamgarh	12	To be completed in the current Financial Year
3.	33 KV substation Jamba	10	To be completed in the current Financial Year
4.	33 KV substation Ballah	7	To be completed in the current Financial Year
5.	33 KV substation Rahra	10	To be completed in the current Financial Year
6.	33 KV substation Chorkarsa	5	To be completed in the current Financial Year
7.	33 KV substation Padha	10	To be completed in the current Financial Year
8.	33 KV substation Rambha	4	To be completed in the current Financial Year
9.	33 KV substation Kachwa	8	To be completed in the current Financial Year
10.	33 KV substation Kohand	5.7	To be started in the current Financial Year
11.	33 KV substation OPH, Karnal	3	To be started in the current Financial Year
III.	**Transmission Lines**	**72.4 Km**	

B. Karnal Assembly Constituency

In Karnal Assembly constituency, 4 new substations with associated lines have been constructed and 6 existing substations augmented from March, 2005 to 15th August, 2011 as per the details given below:—

Sr. No.	Name of Substation	Capacity added in MVA
I.	**New substations**	
	132KV substation	
1.	132KV substation Dabri	25
	33KV substation	
1.	33KV substation S-12 HUDA, Karnal	5
2.	33KV substation S-6 HUDA, Karnal	5
3.	33kV substation Sector-12, Karnal	5

1	2	3
II.	**Augmentation**	
	33KV substation	
1.	33KV substation Old Power House, Karnal	3
2.	33KV substation S- 12, Karnal	8
3.	33kV substation HSIDC S-3, Karnal	4
4.	33kV substation Old Power House, Karnal	5
5.	33kV substation S-6, Karnal	8
6.	33kV substation Sector-12, Karnal	8
III.	**Transmission Lines**	**16.800 Km**

In Karnal Assembly Constituency, 2 new substations, augmentation of one existing substation and erection of 5.700 Km transmission lines stands approved and are in various stages of execution as per the details given below:—

Works proposed to be completed/started in current financial year

Sr. No.	Name of substation or line section	Capacity in MVA	Status
I.	**New substations**		
	33KV substation		
1.	33KV substation Dabri	10	To be completed in the current Financial Year
2.	33KV substation Hansi Road Karnal	10	To be completed in the current Financial Year
II.	**Augmentations**		
	33 KV substation		
1.	33 KV substation OPH, Karnal	3	To be started in the current Financial Year
III.	**Transmission Lines**	**5.700 km**	

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 40-45 साल से कोई नया पावर सब-स्टेशन इंस्टाल नहीं हुआ था लेकिन अब 132 के.वी. के तीन सब-स्टेशन अप्रूव होकर कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हो गया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय बिजली मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि थोड़ी-सी बारिश, आंधी और तूफान आ जाने पर बिजली की तारें व पोल टूट जाते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्रपोज़ल अण्डर कंसीडरेशन है जिससे कि भविष्य में बिजली की तारों को अण्डरग्राऊंड किया जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इस बारे में सबसे पहले तो मैं ट्रांसमिशन लाईन के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी जो 72.4 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाईन के ऊपर 94.29 करोड़ रुपये अप्रूव किये हुए हैं जिसके तहत ट्रांसमिशन लाईनों को मज़बूत भी किया जायेगा और ट्रांसमिशन लाईनों को ठीक भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त हम आने वाले समय में 8 नये पावर सब-स्टेशन बनायेंगे और 13 सब-स्टेशनों की आगूमैंटेशन का काम भी करेंगे। मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने इनके हल्के में 220 के.वी. के 2 सब-स्टेशन, 132 के.वी. के 8 सब-स्टेशन और 33 के.वी. के 22 सब-स्टेशन और इस प्रकार से कुल मिलाकर 32 सब-स्टेशनों की आगूमैंटेशन का काम पूरा किया। इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि निकट भविष्य में हम करनाल विधान सभा क्षेत्र में दो नये सब-स्टेशन बनायेंगे और जो एग्जिस्टिंग सब-स्टेशन हैं उनकी आगूमैंटेशन भी करेंगे।

श्री अनिल धंतौड़ी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष शाहाबाद मारकण्डा में 66 के.वी. के दो नये सब-स्टेशन लगाने की घोषणा की गई थी। क्या मंत्री जी कृपा बतायेंगे कि वे कब तक लगाये जायेंगे या उन पर किस लैवल पर काम चालू हो गया है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन माननीय साथी ने जो बात कही है हम फिर भी उसको एग्जामिन करवा लेंगे। जो भी घोषणा होती है उसको सरकार अवश्य ही पूरा करती है। कोई भी घोषणा तभी होती है जब उसकी प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी होती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि अगर कोई ऐसी घोषणा होगी तो उसको अवश्य पूरी करवायेंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। अभी पिछले दिनों बिजली बोर्ड ने बी.डी.एस. स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को डिक्लेरेशन का एक मौका दिया था। जब कंज्यूमर की चैकिंग होती है और मीटर खराब होता है या मीटर स्लो चल रहा होता है तो कंज्यूमर जो एक्च्यूअल लोड यूज कर रहा होता है उस पर फाईन लगना चाहिए न कि बी.डी.एस. के ऊपर फाईन लगना चाहिए। इस बारे में रूल्ज में अमैंडमैंट होना चाहिए। इसके अलावा मैं बिजली विभाग को यह सलाह भी देना चाहूँगा कि इनके रूल्ज कंज्यूमर फ्रैंडली होने चाहिए न कि उनको तंग करने के लिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर हम अवश्य ही ध्यान देंगे। इसके अलावा मैं श्रीमती सुमिता जी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जुलाई, 1999 से 2005 के बीच में करनाल जिले में 29 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च हुए और हमारी सरकार के दौरान 286.41 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। उनके समय में 74.527 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाईन लगाई गई थी जबकि हमारे समय में 370.531 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाईन लगाई गई है। इसी प्रकार से करनाल असैम्बली कंस्टीच्यूएंसी में 1999 से 2005 तक 87 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि हमारे समय में 20 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च किये गये हैं जिसमें एक 32 के.वी. सब स्टेशन, तीन 33 के.वी. के सब-स्टेशन और 33 के.वी. के 6 सब-स्टेशन्स का ओगूमैंटेशन किया गया है।

Construction of Bridge

***746. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the PWD (B&R) Minster be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide connectivity to village Khetpurali by constructing a bridge on river?

लोक. निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : हां, श्रीमान् जी। अध्यक्ष महोदय, यह ब्रिज माननीय साथी के हलके में एक अल्टरनेटिव और महत्वपूर्ण लिंक होगा और इस पर लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी क्योंकि It has to be a hydraulic design that is why we had referred the matter to IIT Rurki and Dr. Umesh Kothari, who is Professor of IIT Rurki and is an expert on this issue has visited his constituency twice. Once on 21st January and 2nd on 17th July. He is about to submit the design to us. Movement the design is submitted then the estimates could be prepared and the tender would be issued. That's why no time frame has been given as yet.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या खेतपुराली नदी के पुल के अलावा गाँव की एंट्री पर भी कोई पुल का निर्माण किया जायेगा क्योंकि वहाँ पर भी पिछले 2 साल से पुल नहीं है and people have to travel a pit of about ten feet deep to reach in the village और अगर किया जायेगा तो कब तक किया जायेगा ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is new information, I do not have it handy. My friend should also send it inwriting. We will examine it.

Construction of Building for Central Co-operative Bank, Gohana

***654. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Co-operation Minister be pleased to state—

(a) Whether the branch of the Central Co-operative Bank at Gohana is being run in a private building; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a building of its own for the aforesaid Branch; and

(b) Whether it is also a fact that tenders had been invited and work had been allotted for construction of the aforesaid building; if so, the reasons for the said construction work not having been started?

Co-operation Ministrer (Shri Satpal Sangwan) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

The District Central Cooperative Bank, Sonepat is running its branch at Gohana in a private building. There is a proposal under consideration of the District Central Co-operative Bank to construct a building of its own at Gohana for its Branch.

The tenders for the consrtruction of building of the Central Co-operative Bank at Gohana were invited on 26.11.2005 and wrok was allotted to the construction agency on 9.2.2006.

The Building Plan was approved by the Municipal Committee Gohana on10.07.2008. In the absence of approved building plan, the Bank could not enter into an agreement with the construction agency and construction agency refused to construct the building at old rates. Hence the construction work could not be started due to the above mentioned reasons.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने बिल्डिंग बनाने की हाँ भर ली है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक शुरू हो जायेगी और कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : सर, पहले इसका टैंडर 26.11.2005 को हुआ था और आसौदा (बहादुरगढ़) की एक लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी ने इसका टैंडर भी ले लिया था। Sir Gohana is the part of Central Co-operative Bank, Sonepat हमारे सभी काम कम्पलीट हो गये थे लेकिन वहाँ पर जो बिल्डिंग बनानी होती है उसका नक्शा कमेटी में पास करवाना होता है दो साल तक वह नक्शा ही एप्रूव नहीं हुआ जिसके कारण उस समय उस टैंडर की जो कॉस्ट 49 लाख रुपये थी वह बढ़कर 2008 में 70 लाख रुपये हो गई। जिस सोसायटी द्वारा यह टैंडर लिया गया वह रिफ्यूज कर गयी। उसने कहा कि हम पहले वाले टैंडर से यह काम नहीं करेंगे। जब मेरे साथी ने दोबारा से इस बारे में कहा तो मैने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि ये मेरे पुराने साथी हैं और ये वहां पर बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं इसलिए वहां पर यह बिल्डिंग बनवा दी जाए। सर, अब इसका नक्शा कमेटी ने भी ऐप्रुव कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, पुराने साथी से आपका क्या मतलब है ?

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, जब मैं विधायक बना था तो ये भी पहली बार उस समय विधायक बनकर आए थे और हमारी पार्टी भी एक ही थी। (विघ्न) सर, इनके कहने पर मैंने पर्सनली मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट की और कहा कि अब यह बिल्डिंग 90 लाख रुपये में बन रही है इसलिए आप इसकी परमिशन दे दें तो उन्होंने कहा कि मलिक तेरे घना ही पीछे पड़ा है इसको बनवा दो। सर, अब यह मामला रजिस्ट्रार, को-ओपरेटिव सोसायटीज से ऐप्रुव हो गया है और टैंडर करने के लिए भी हमने लेबर कंस्ट्रक्शन सोसायटी, पंचकुला को लिख दिया है इसलिए जल्दी ही हम इस काम को शुरू करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अपने साथी को जल्दी आश्वासन दो।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, अब यह मामला पंचकुला कंस्ट्रक्शन सोसायटी को भेज दिया है इसलिए जल्दी ही यह बिल्डिंग बनवा देंगे।

Construction of Model Bus Stand

***662. Shri Anand Kaushik :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Model Bus Stand in Sector 12, Faridabad; if so, the time by which the Model Bus Stand is likely to start functioning?

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. A proposal for construction of a Modern Bus Stand is under consideration in Sector 12 of Faridabad City in Public Private Partnership (PPP) mode. Though the process has been initiated, yet at this stage, it is not possible to specify time by which it will start functioning.

श्री आनंद कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि लगभग तीन साल पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद गए थे और वहां पर वे फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए वोल्वो बस की सर्विस का उद्घाटन करके आए थे। यह पिछली टर्म की बात है। इन्होंने ऐश्योरेन्स भी दी थी और कहा था कि जल्दी ही वहां पर बस स्टैंड का काम शुरू होगा और सिटी बस सेवा भी शुरू होगी। लेकिन तीन साल के बाद भी यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मेरी आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी यह कार्य शुरू करवाया जाए। वैसे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद को मेट्रो के रूप में बहुत बड़ा तोहफा दिया है इसलिए हम उससे खुश हैं लेकिन मेरे इलाके में कोई भी बस स्टैंड नहीं है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे यहां पर बस स्टैंड कब तक बन जाएगा ? जो पिछले परिवहन मंत्री थे उन्होंने पिछले विधान सभा सत्र में वायदा किया था कि तीन महीने में उस बस स्टैंड पर काम शुरू हो जाएगा लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हुआ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फरीदाबाद का प्रश्न है। यह सच है कि फरीदाबाद में एक बड़े बस स्टैंड की आवश्यकता थी। डिलिमिटेशन से पहले महेन्द्र प्रताप जी भी उस एरिया की नुमाइंदगी करते रहे हैं, कृष्णपाल जी भी उस इलाके की नुमाइन्दगी करते रहे हैं, वहां की बरसों की मांग थी लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं थी। इस बस स्टैंड के लिए सैंटर ऑफ दि सिटी इनवैल्यूएबल 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। कृष्णपाल जी ने भी कोशिश की थी लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए थे। ये ट्रान्सपोर्ट विभाग के मंत्री भी रहे हैं परन्तु ऐसा संयोग रहा कि इनको भी वह जमीन नहीं मिल पाई। जब चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी वहां से विधायक थे तो इन्होंने यह मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। तब 28.11.2009 को 15 एकड़ और एक कनाल जमीन साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से ट्रान्सपोर्ट विभाग को सैक्टर 12, फरीदाबाद में बस स्टैण्ड बनाने के लिए हस्तांतरित कर दी गयी। इस दौरान विभाग ने एक पॉलिसी बनाई थी कि काफी बस स्टैण्ड पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मौड में और अच्छी सुविधाओं के साथ बनाये जायेंगे। इस बारे में विभाग ने चार कन्सैलटैंट्स के साथ एक Memorandum of Agreement (एम.ओ.यू.) साईन कर लिया है। जिनके नाम हैं फीडबैक वैंचर्स, आई.एल.एन.एफ.एस., क्रिसिल और ग्रेंडथोन्टन। ये चारों इस मुल्क के सबसे बड़े कन्सैलटैंट्स हैं। इनमें से हमने फीडबैकवैंचर्स को करनाल और पंचकूला के लिए बिल्डिंग के आधार

पर तथा मानेसर, बहादुरगढ, फरीदाबाद, एन.आई.टी. फरीदाबाद, बल्लबगढ, यमुनानगर, रोहतक, राजीव चौक के नजदीक गुड़गांव, बस स्टैण्ड, गुड़गांव, आई.एल.एन.एफ.एस. को सैक्टर 29, गुड़गांव जो मेन हॅब है, क्रिसिल को सैक्टर-12, फरीदाबाद, पलवल, बायल, सोनीपत, कुण्डली, पानीपत इत्यादि और ग्रेंडथोन्टन को अम्बाला सिटी, हिसार और पिपली के बस अड्डे बनाने के लिए एग्रीज किया है। ये सारे बस अड्डे बनाने के लिए उनको दिए गये हैं। बहुत जल्दी हम इनके कागज तैयार करके टैण्डर को बिल्डिंग की स्टेज पर लेकर जायेंगे। इस बारे में थोड़ी देरी हुई है। मैं माननीय सदस्या श्रीमती सुमिता सिंह जी से सहमत हूं। परन्तु सरकार ने एक पारदर्शी तरीका अपनाया है और आगे बिल्डिंग करवाकर इनको हम पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मौड पर लेकर जायेंगे।

Repair of Road

***689. Shri Raj Pal Bhukri :** Will the PWD(B&R) Minster be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/raise the PWD road from Jagadhari to Sarawan in Sadhaura Constituency; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaird/raised?

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, out of 21.78 km length of this road,19.28 Km fall in Sadhaura Constituency. Out of 19.28 Km, work of improvement and raising for 11.08 Km has recently been allotted at a cost of ₹ 7.07 crore. It is expected that this work will be completed by 31.07.2012. Remaining 8.20 Km length of road is being maintained by doing patch work.

श्री राज पाल भूखरी : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। यह रोड काफी वर्षों से बाढ से प्रभावित होती रही है इसकी रिपेयर का कार्य कभी भी नहीं हुआ। इसके साथ माननीय मंत्री जी से मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जगाधरी से सरावां रोड एक ही रोड है। मंत्री जी ने जगाधरी से पावनी तक तो इस रोड को बनाने की मन्जूरी दे दी है। लेकिन यह एक ही रोड है जो सैंकड़ों गांवों को जोड़ती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इस रोड को जगाधरी से पावनी तक स्ट्रैंथनिंग और रेज करने का कार्य मन्जूर किया है उसकी बजाय इसको पावनी तक मन्जूर कर दिया जाए।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I will get this also examined from the department then I will tell my learned friend about this.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरियाणा को केन्द्र से राशि मिलती है लेकिन पिछले दो साल से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरियाणा में कोई सड़क नहीं बनी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरियाणा को यह राशि मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो क्या कारण है ? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी दरिया दिल है जो उनसे मांगते हैं वे ये दे देते हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फरीदाबाद में फरीदाबाद से वजीरपुर दैदसिया तक का रोड है उसकी ऐसी हालत है कि आज वहां पर गाड़ियों

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

की तो दूर की बात है, वहां से पैदल भी कोई आदमी नहीं जा सकता है। इस सड़क की हालत बहुत बुरी है। चाहे तो इस बारे में कोई भी अधिकारी जाकर देख सकता है। इस सड़क से 15-20 गांव जुड़े हुए हैं। मेरे कहने पर नहीं बल्कि इसकी फिजीकल वैरीफिकेशन किसी से भी करवाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फरीदाबाद से जसानावाला एक रोड है जहां दो-दो, तीन-तीन फुट तक पानी खड़ा रहता है इस बारे में आनन्द कौशिक जी को भी पता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इन दोनों सड़कों को दिखवाकर बनवाने का कष्ट करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। PMGSY में उन्होंने हर स्टेट के टारगैट सैट किए हुए हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि PMGSY में एलोकेशन आफ मनी के लिए जो रिक्वायरमैंट्स है उसमें हरियाणा सरकार ने बाकी सभी प्रांतों से पहले अपने टारगैट्स पूरे कर लिए हैं। यह सच है कि इस समय इस स्कीम में फण्ड्स की कमी है इसलिए भारत सरकार ने इस योजना के नए फण्ड्स सैंक्शन नहीं किए हैं। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि बाकी सभी प्रांतों ने अपने-अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया है जबकि हमने बाकी प्रांतों से आगे के टारगैटस भी पूरे कर लिए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि जब सभी प्रांत कैच अप करेंगें तभी आगे फण्ड रिलीज करने शुरू करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने दो सड़कें फरीदाबाद से वजीरपुर दैदसिया और फरीदाबाद से जसानावाला रोड का जिक्र किया है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि मैंने इन दोनों सड़कों के नाम नोट कर लिए हैं और हम जल्दी ही इन दोनों सड़कों को एग्जामिन करवाकर दुरूस्त करवाने का काम करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 664

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राव बहादुर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Greern Cover for Aravali Ranges

***648. Shri Aftab Ahmed :** Will the Forest Minster be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide green cover to the Aravali Ranges in District Faridabad, Gurgaon and Mewat?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes, Sir.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, पहले भी अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा करने की बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई गई थी। वहां पहले खनन कार्य होता था इसलिए इन योजनाओं के पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ पाए थे। इन दिनों वहां खनन कार्य बन्द है इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि अब अरावली की पहाड़ियों को बेहतर तरीके से हरा भरा किया जा सकता है और यदि ऐसा हो जाता है तो इस एरिया के इन्वायर्नमैंट और पोल्यूशन के लिए ब्रीथिंग लंग मिल जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह एरिया पूरा पहाड़ी है इसलिए यहां डिटेल प्लांटेशन करवाई जाए ताकि इन पहाड़ियों को हरा भरा किया जा सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ रुपये की लागत से हम एक महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट मेवात, भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद और गुड़गाव के लिए इम्पलीमैंट कर रहे हैं। सोयल कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर चार्ज करने के लिए हम 34 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और 16 करोड़ रुपये प्लांटेशन पर खर्च करेंगे। यह सारा पैसा स्टेट बजट से खर्च होगा। यह सारा पैसा 2011-12 और वर्ष 2013-14 के दौरान खर्च करेंगे। इस पैसे से चैक डैम भी बनाएं जाएंगे और अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा भी किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में भी इस प्रोजैक्ट के बारे में अनाउंस किया गया था। इसके अलावा 300 हेक्टेयर एरिया की हम प्लांटेशन कर रहे हैं। 25 पॉड्स को हम रैनोवेट करेंगे। इस साल करीबन 17.70 लाख पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। 15 लाख प्लांट्स फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत देने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा फोरैस्ट डिवैल्पमैंट एजैंसी, नैशनल एफोरैस्ट्रेशन और इको डिवैल्पमैंट बोर्ड के तहत 2 लाख पौधे मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद तीन जिलों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फरीदाबाद, मेवात और गुड़गाव में तीन हर्बल पार्क बनाने का हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कुल 5 करोड़ पौधे लगाने का है। मैं समझता हूं कि उसमें मेवात का जो हिस्सा बनता है उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगें। इसके इलावा जितनी भी पंचायत लैंड्स हैं, गवर्नमैंट लैंड्स है और फार्मस लैंड्स हैं प्लांटेशन के लिए उनको हम सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक कम्पीरैंहसिव प्रोजैक्ट है। अरावली की पहाड़ियों के लिए 50 करोड़ रुपये का जो प्रोजैक्ट हमने बनाया है, यह एक महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट है और मैं समझता हूं कि इस प्रोजैक्ट से मेवात के एरिया को काफी फायदा पहुंचेगा।

11.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, all question listed for today have beeu answered. Now, the question hour is over.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव--

हरियाणा में पंचायती भूमि को बिना कोई रकम या नाममात्र राशि वसूल किए उपहार में देने सम्बन्धी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members I have received a Calling Attention Motion No.11 given notice of by Shri Sampat Singh, MLA regarding gifting away without charging any money or nominal amount of Panchayat Land in Haryana. I have admitted it. Shri Sampat Singh, MLA may read his notice.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आज सैशन का अंतिम दिन है। हमने कुछ कालिंग अटैंशन मोशन दिए हुए हैं हम उनका फेट जानना चाहते हैं। मैं उनको पढ़ देता हूं।

Mr. Speaker : You cannot read it. Please don't do this.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded whatever said by Shri Anil Vij without my permission.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कौड़ियों के भाव जमीन तो चौधरी देवी लाल ट्रस्ट को इन्होंने दी थी। You will get an answer. This kind of conduct will not be acceptable.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please resume your seat. I am standing, please resume your seat. (interruption) You are misbehaving. Nothing is to be recorded. (Interruption) You have a habit to stand up and speaking without permission of the Chair. Are you above the Chair? Are you above this House? Can you hold the entire House to ransom?

Shri Anil Vij : No, Sir.

Mr. Speaker : Yes, you are. You are misbehaving in this House. You have no right. Is this the way to run this House? You think you are above God.

Shri Anil Vij : No, Sir.

Mr. Speaker : You cannot stand up and say anything in this House. This House has rules. Please resume your seat. I am telling you please resume your seat. Try to behave. Please sit down. You have a habit to standup and speak anything.(Interruption) Please sit down. Don't speak anything while sitting. This is not the rule of the House. अनिल विज जी, यह आपका हर रोज़ का कंडक्ट हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) कभी आप बैठे-बैठे बोलते हों और कभी-कभी बिना मेरी परमिशन लिये खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि ऐसा करके आपकी फोटो अखबारों में आ जायेगी। This is not the way. आप 4 बार विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं इसलिए आपको हाऊस की परम्पराओं का सम्मान करना चाहिए। You have not learnt anything. प्लीज़ अब आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर,*******

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जो भी माननीय सदस्य श्री अनिल विज जी ने बोला है उसे एक्सपंज करवा दिया जाये।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. I do not acknowledge you. Whatever he is stated without my permission not to be recorded.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये कालिंग अटैशन मोशन का फेट तो बता दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको आपके कालिंग अटैंशन का फैट बताया जायेगा लेकिन पहले आप मुझे लेजिस्लेटिव बिजनैस तो पूरा कर लेने दीजिए that I have already called for the next business. Anything he has stated, nothing is to be recorded. Mr. Sampat Singh Ji, please read out your calling attention motion. (Interruption)

Shri Anil Vij : Sir, ******

Mr. Speaker : Mr. Vij, let me finish the business first. I will tell you the fate of your calling attention motion. Please sit down, मि. विज अब तो बैठ जाईये। Mr. Sampat Singh, you may read out your calling attention motion.

प्रो० सम्पत सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक अति महत्वपूर्ण और पब्लिक इम्पोर्टैंस के चर्चित विषय पर आपने मेरा कालिंग अटैंशन मोशन मंजूर किया है। अब मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढता हूं जो कि इस प्रकार से है :-

अध्यक्ष महोदय, मै इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सी पंचायतों की भूमि न्यासों तथा समितियों को बिना रकम वसूल किए या नाममात्र दरों पर रकम वसूल करके ऐसे धर्मार्थ न्यासों को दी गई है। पंचायतों ने अपने आय के साधन खो दिए हैं। न्यास तथा समिति जिनको ये भूमि उपहार में दी गई है वह ऐसी भूमि पर पंचायतों को कोई पट्टा राशि दिए बना आज अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां चला रहे हैं। हरियाणा सरकार ने जनवरी, 2008 में किसी विक्रय विलेख या उपहार को प्रतिबन्धित करते हुए ग्राम पंचायत शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1964 में संशोधन किया है। अब यह भूमि धर्मार्थ न्यासों को भूमि के कलैक्टर रेट का 6% वार्षिक वसूल करने के बाद पट्टे पर दी जा रही है। अब वे पंचायतें जिन्होंने अपने आय के साधन खो दिए है अब मांग कर रही हैं कि यह संशोधन जबसे हरियाणा राज्य बना है तब से लागू होना चाहिए ताकि वे अपने गांवों में काम करने के लिए आय का साधन जुटा सकें।

इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

डॉ० अजय सिंह चौटाला, श्री राम पाल माजरा, कर्नल रघबीर सिंह, श्री कली राम, श्री अशोक कुमार, श्री परमेन्द्र ढुल, श्री जगदीश नायर तथा श्री कृष्ण पंवार, एम.एल.एज़., इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले गांव उल्लावास, जिला गुड़गांव की बहुमूल्य भूमि राजीव गांधी ट्रस्ट को अनियमित तरीके से आबंटित की है। इस आबंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई थी/की गई हैं। इस संबंध में यह भी सामने आया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं पर सरकार ने गलत ढंग से दबाव बनाकर याचिकाएं वापस करवाई हैं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 तथा 6 का दुरूपयोग करके उक्त भूमि गलत ढंग से राजीव गांधी ट्रस्ट को आबंटित की है।

सरकार द्वारा उठाए गए इस प्रकार के पगों के कारण हरियाणा राज्य के लोगों में रोष व्याप्त है। सरकार का यह पग निंदनीय व असराहनीय है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

इसलिए, वे निवेदन करते हैं कि सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें मन्त्री) (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त वर्णित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस में उठाए गए विषय के बारे वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है:-

1. पंचायतों की भूमि को उपहार में देने, बेचने, पट्टे पर देने, तबादला अथवा किसी भी प्रकार के अन्य केस पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियमन, 1961 तथा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली 1964 के तहत संचालित होते हैं। यहां पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 तथा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 के लागू होने से आज तक समय-समय पर दी गई शक्तियों के बारे विधि के इतिहास का वर्णन किया जाना उचित होगा:-

(i) 1961 के अधिनियम की धारा 5 (1) की प्रतिलिपि निम्न प्रकार से है:-

"(1) इस अधिनियम के अधीन किसी पंचायत में निहित या निहित समझी गई सभी भूमि का पंचायत द्वारा उपयोग या व्ययन सम्बद्ध ग्राम के निवासियों की प्रसुविधा के लिए विहित राशि में किया जाएगा।"

नियमावली, 1964 के नियम 13 में यह प्रावधान था कि ग्राम पंचायत जिला परिषद की पूर्व अनुमति से सरकार द्वारा अनुमोदित हस्पताल, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं को पंचायतों में निहिल शामलात भूमि को उपहार में दे सकती है।'

(ii) हरियाणा संशोधन नियमावली 1971 द्वारा 1964 के नियम 13 को प्रतिस्थापित किया गया था तथा फिर हरियाणा संशोधन नियमावली 1975 द्वारा नियम 13 में उपनियम 2 जोड़ा गया जो वर्णित करता है कि पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चिकित्सालय, औषद्यालयों या शैक्षणिक या पूर्व संस्था के प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध गांव के निवासियों के लाभ के लिए अनुमोदित किए जाएं, भूमि दान दे सकती है।

(iii) 1961 के अधिनियम को 1976 के संशोधन एक्ट नं0 25 के द्वारा संशोधित किया गया था तथा नया प्रावधान धारा 5क तथा 5ख पंचायतों की शामलात भूमि के सम्बन्ध में शामिल किया गया था। धारा 5A तथा 5B की प्रतिलिपि निम्न प्रकार से है:-

"5क(1) कोई पंचायत इस अधिनियम के अधीन अपने में निहित शामलाल में देह भूमि का उस गांव के जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर दान कर सकती हैं जो विहित की जाए।

(2) शामलात देह में भूमि का पहले ही किया गया दान उप-धारा (1) के अधीन किया गया समझा जाएगा।

5ख. धारा 5क के उपबन्धों के अनुसरण में दान की गई भूमि का कोई अन्तरण जो विहित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन में किया गया, शून्य होगा और दान की गई इस प्रकार अन्तरित भूमि भार-बन्धनों से मुक्त पंचायत को प्रत्यावर्तित हो जाएगी और उसमें पुन: निहित की जाएगी।"

इस प्रकार पंचायतों की शामलात भूमि का उपहार केवल गांव की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के सदस्यों को देने तक ही सीमित कर दिया गया था।

उपरोक्त वर्णित धारा 5A के प्रावधान को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से 1964 की नियमावली को संशोधित करते हुए नियम 13A शामिल किया गया था। नियम 13A में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के सदस्यों को शामलात भूमि उपहार में देने से सम्बन्धित अनुबन्ध एवं शर्तो के सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधान किया गया था।

(iv) 22.03.2001 को 1964 की नियमावली के नियम 13 को सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0.33/पी0ए0.18/1961/एस.15/2001 द्वारा एक बार फिर प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापित नियम 13(1) में पंचायत की शामलात भूमि को हस्पताल, डिस्पैन्सरी, शैक्षणिक अथवा धमार्थ संस्थाओं को जो सरकार से सम्बन्धित न हो अथवा अन्य किसी उद्देश्य के लिए जो सरकार से अनुमोदित हो उपहार में देने का प्रावधान किया गया था।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, which Government was at that time?

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, in the year 2001, there was INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala in power in the State, (Interruption).

Mr. Speaker : Please, no sitting commentary.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, किसी भी पंचायत की जमीन का आखिरी फैसला कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। मै सुरजेवाला जी से पूछना चाहता हूं कि जिस कैबिनेट ने यह फैसला दिया था क्या उस कैबिनेट में बी.जे.पी. थी?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, there was INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala in power in the State at that time. BJP Members were not necessarily a part of the Government. It was an alliance Government. BJP was in alliance with INLD in Haryana and NDA Government was being run in an alliance with the INLD at the Centre.

Mr. Speaker : But he is saying that he was not a part of the Cabinet.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, they were not the part of the Cabinet but you don't have to be part of the Cabinet. We have many allies, even today in UPA-I, UPA-II who are not necessarily part of the Cabinet but that does not mean that you seized to have responsibility for decision of the Government otherwise you should withdraw support.

Mr. Speaker : I want to know what you have informed me.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर यह भी प्रावधान किया गया था कि पंचायतों की भूमि किसी भी सरकारी विभाग के जनहित में की जाने वाली स्थापना के लिए सम्बन्धित उपायुक्त की सहमति से उपहार में दी जा सकेगी।

नियम 13(1) को राज्य सरकार की अधिसूचना नं0 एस0ओ0.34/पी0ए0.18/1961/एस.15/2002 द्वारा दिनांक 9.04.2002 को पुन: प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रतिस्थापित नियम 13(1) द्वारा भी पंचायत की शामलात भूमि को हस्पताल, डिस्पैन्सरी शैक्षणिक अथवा धमार्थ संस्थाओं को जो सरकार से सम्बन्धित न हो अथवा अन्य किसी उद्देश्य के लिए जो गांव के निवासियों के लाभ के लिए सरकार से अनुमोदित हो, उपहार में देने का प्रावधान किया गया था। प्रतिस्थापित नियम 13(1) की प्रतिलिपि निम्न प्रकार से है:-

> "13(1) पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चिकित्सालय, औषधालयों या शैक्षणिक या पूर्त संस्था के प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध गांव के निवासियों के लाभ के लिए अनुमोदित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन, इसमें निहित शामलात देह में, भूमि दान दे सकती है।"

यहां पर यह भी व्यक्त करना भी उचित होगा कि नियम 13 को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.03.2001 एवं 9.04.2002 द्वारा दो बार प्रतिस्थापित किया गया था लेकिन इसी के अनुसार 1961 के अधिनियम में विधिक संशोधन, जिसके अनुसार पंचायत की भूमि को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के रिहायशी मकान के उद्देश्य के इलावा उपहार में देने का संशोधन नहीं किया गया था।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रो० सम्पत सिंह जी ने यह कालिंग अंटेशन मोशन दिया क्या ये उस समय उस कैबिनेट में थे या नहीं जिसने यह फैसला लिया था और अगर ये उस समय कैबिनेट में थे तो उस समय इन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया था जब अमैंडमैन्ट हो रही थी? ये आज तो इस बारे में कालिंग अंटेशन मोशन दे रहे हैं लेकिन इनको उस समय कैबिनेट में कहना चाहिए था, उस समय तो ये उसका समर्थन कर रहे थे।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं उस समय उस कैबिनेट में शामिल था लेकिन इनको क्या तकलीफ है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अभी कृष्णपाल जी कह रहे थे कि सम्पत सिंह जी को उस समय इसका विरोध करना चाहिए था। मैं इनको कहना चाहता हूं कि उस समय जो मजबूरी आपकी थी वही मजबूरी इनकी भी थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जब सम्पत सिंह जी इस कालिंग अंटेशन मोशन पर अपने प्रश्न पूछ लें तो उसके बाद हमारे ये काबिल दोस्त पूछ सकते हैं। मैं उनका उत्तर देने के लिए बाध्य हूं।

Mr. Speaker : You may please continue. No interruption till the Minister finishes his reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर

(v) इसी दौरान पंचायतों की शामलात भूमि को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के रिहायशी मकान के उद्देश्य के इलावा उपहार में देने की सरकार की शक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय में एक सिविल याचिका नं0 179/1999-बी०एल०बढ़ेरा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के केस में चुनौती दी गई थी। दिनांक 19.04.2002 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत यात्रा केन्द्र के नाम के ट्रस्ट को ग्राम पंचायत भौण्डसी द्वारा नियमावली, 1964 के नियम 13 के तहत उपहार में दी गई 422 कनाल भूमि को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि नियमावली, 1964 के नियम 13 के तहत किसी भी ट्रस्ट को भूमि उपहार में नहीं दी जा सकती जब तक 1961 के अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान न हो। एक्ट में कोई पॉवर नहीं तो रूल्ज़ में कोई पॉवर नहीं दे सकते and consequently, the Supreme Court quashed it.

(vi) 1961 के अधिनियम की धारा 5A को 2003 के संशोधित एक्ट नं० 13 द्वारा पुन: संशोधित करते हुए उपधारा (1A) के रूप में शामिल किया गया था जिसकी प्रतिलिपि निम्न प्रकार से है:-

"(1क) पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चिकित्सालय, औषधालयों या शैक्षणिक या पूर्त संस्था के प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध गांव के निवासियों के लाभ के लिए अनुमोदित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन, इसमें निहित शामलात देह में, भूमि दान दे सकती है।" उस फैसले को उच्चतम न्यायालय के ओवरटर्न करने के लिए उस समय की INLD-BJP की सरकार ने फिर 5(1)(A) introduce किया और उसको भी retrospective effect से लागू किया।

इस संशोधन द्वारा नियम 13A की भाषा को अधिनियम में रुपान्तरित करते हुए पंचायत की शामलात भूमि को हस्पताल, डिस्पैन्सरी, शैक्षणिक अथवा धमार्थ संस्थाओं को जो सरकार से सम्बन्धित न हो अथवा अन्य किसी उद्देश्य के लिए जो गांव के निवासियों के लाभ के लिए सरकार से अनुमोदित हो, उपहार में देने का प्रावधान किया गया था। धारा 5A(2) को भी पूर्व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था।

(vii) सरकार द्वारा धारा 5क(1क) के तहत भिन्न-भिन्न धर्मार्थ ट्रस्टों को भूमि उपहार में देने की शक्तियों के दुरुपयोग किए जाने के मामलों का संज्ञान लिया गया। Sir, the position continued till Congress Government was constituted and it is the present Chief Minister and his Government that took notice of this fact. जिसके तहत न तो भूमि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई पाई गई एवं न ही धर्मार्थ ट्रस्ट अपने उचित उद्देश्य हेतु कार्य करते हुए पाए गए। Sir, the Charitable Trust neither used the land for the purpose for which it was allocated nor they do charitable activities. तब सरकार द्वारा 2007 के संशोधन अधिनिमय नं0 2008 द्वारा धारा 5A एवं 5B को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिनकी प्रतिलिपि निम्न प्रकार से है:-

"5क. पंचायत में निहित या निहित समझी गई भूमियों का निपटान .— (1) पंचायत, इस अधिनियम के अधीन अपने में निहित शामलात देह की भूमि को, उस गांव, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, के अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को तथा किसी अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को यथाविहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, दान, विक्रय, आदान-प्रदान या पट्टा उप-धारा (1) के अधीन किया गया समझा जाएगा।

(2) शामलात देह में पहले से ही किया गया भूमि का दान विक्रय, आदान-प्रदान यह पट्टा उप-धारा (1) के अधीन किया गया समझा जाएगा।

5ख. कुछ अन्तरणों का पंचायत के अधिकारों को प्रभावित न करना ; This is where we proceeded to protect land of Panchayats even when it was wrongly given. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या के बाद दान, विक्रय, आदान-प्रदान या पट्टे पर दी गई भूमि का कोई अन्तरण जो विहित निबंधनों तथा शर्तों के उल्लंघन में किया गया है, अमान्य होगा तथा दान, विक्रय, आदान-प्रदान या पट्टे पर दी गई इस प्रकार अन्तरित भूमि सभी ऋणभारों से मुक्त पंचायत को प्रतिवर्तित हो जाएगी, तथा उसमें पुन: निहित हो जाएगी। There is a provision now that the land can be restored back to Panchayat.

(2) सरकार या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या किसी पंचायत या गांव के किसी निवासी या खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी द्वारा उसको किए गये आवेदन पर, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या के बाद किसी विक्रय, पट्टा, दान, आदान-प्रदान, निष्पादित की गई संविदा या करार की वैधता या औचित्य के संबंध में स्वयं की सन्तुष्टि करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख की छानबीन कर सकता है, यदि ऐसा विक्रय, पट्टा, दान, आदान-प्रदान, संविदा या करार ग्रामवासियों के हितों के लिए हानिकर पाया जाता है तथा पंचायत के हित में इससे आगे आपेक्षित नहीं है, तो सरकार, ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात उसे रद्द कर सकती है तथा किसी विधि के अधीन कोई भी पृथक, कार्यवाहियां विक्रय, पट्टा, या दान, आदान-प्रदान रद्द करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगी। पंचायत ऐसे परिसरों जिन पर निर्माण, यदि कोई हैं, भी शामिल हैं का कब्जा लेने के लिए सक्षम होगी, जिसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।"

नियम 13 को भी सरकार की अधिसूचना नं० एस०ओ०3/पी०ए० 18/1961/एस.15/2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसकी प्रतिलिपि निम्न प्रकार से है:-

"13. भूमि दान। धारा, 5, 5क तथा 15.-पंचायत-

(i) गांव के निवासियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आदर्श गांव योजना के अधीन मकान निर्माण, सार्वजनिक स्थानों के स्थापन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजन हेतु ; तथा।

(ii) उनकी सेवाकाल के दौरान किसी युद्ध या आक्रमण विरोधी कार्यवाही में गम्भीर रूप से घायल तथा अपंग हुए सुरक्षा बलों तथा पैरामिलट्री बलों के सदस्यों या मारे गए

ऐसे सदस्यों के पर्याप्त रिहायशी आवास न रखने वाले आश्रित परिवारों को या गरीबी के आधार पर अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों या आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के सदस्यों को 200 वर्ग गज की सीमा तक आवासीय प्रयोजनों हेतु, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिनियम के अधीन इसमें निहित शामलात देह में भूमि दान दे सकती है:

परन्तु राज्य सरकार उन मामलों में कोई अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी जो सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं :

परन्तु यह और कि सम्बन्धित उपायुक्त अथवा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को पकानप-स्थन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अधीन पहचानित पात्र परिवार को शामलात देह की भूमि में से 100 वर्ग गज का रिहायशी प्लाट, उपहार द्वारा, आबंटित करने के लिए अनुमोदन प्रदान हेतु सक्षम होगा।"। **(इस समय माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)**

(2) आज की तिथि में पंचायत की भूमि केवल निम्नलिखित को उपहार में दी जा सकती है:-

(i) अनुसूचित जाति के सदस्यों को रिहायशी उद्देश्य हेतु 200 वर्ग गज तक की भूमि देने के लिए।

(ii) पिछड़ी जाति के सदस्यों को रिहायशी उद्देश्य हेतु 200 वर्ग गज की भूमि देने के लिए।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को रिहायशी उद्देश्य हेतु 200 वर्ग गज की भूमि देने के लिए।

(iv) सुरक्षा सैनिकों एवं पैरामिलट्री फोर्स जो किसी युद्ध/आपरेशन में उनकी सेवाकाल के दौरान मारे गए हों अथवा उनके आश्रित परिवारों को रिहायशी उद्देश्य हेतु 200 वर्ग गज की भूमि देने के लिए।

(v) आदर्श गांवों में सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा आम यूज के लिए स्थान निर्धारित करने व घरों के निर्माण उद्देश्य के लिए।

हमारी सरकार के आने के बाद संशोधन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित श्रेणियों के इलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पंचायत की भूमि उपहार में दिए जाने की स्वीकृति नहीं है।

(3) 1961 के अधिनियम की धारा 5ख में वर्ष 2007 के संशोधित एक्ट नं० 8 द्वारा किए गए संशोधन अनुसार पंचायत के हितों को उन अनैतिक धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा पंचायत की भूमि को उन तमाम उद्देश्यों के अनुचित प्रयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए सक्षम है जिन उद्देश्यों के लिए पंचायत भूमि प्रयोग करने का प्रावधान किया हुआ है वास्तव में धारा 5ख में उन समस्त

तबादलों को चाहे वह उपहार, पट्टा, विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से दी गई हो, रद्द करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अनुसार यथास्थिति बनाए रखते हुए कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

सरकार पंचायतों की भूमि को अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों के इलावा किए जाने वाले दुरुपयोग से बचाने के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भली प्रकार सचेत है तथा जहां कहीं भी पंचायत भूमि के दुरुपयोग तथा अवैध कब्जों के मामले सरकार के ध्यान में आते हैं वहाँ पंचायत भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि दूसरा कालिंग अटैंशन स्पीकर साहब ने इसी के साथ क्लब कर दिया था इसलिए हमने उसकी एक रनिंग स्टेटमैंट बनाई है and with your kind permission Sir, I will like to read that also in English. Although the person moving the motion is not present but since it had been clubbed as part of the same motion that is why I am reading the second also Sir.

The factual position with regard to the matter raised in the notice for calling attention motion is as follows:—

1. Land measuring 40K-3M belonging to Gram Panchayat, Village Ullawas, District Gurgaon was leased out to 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' as per the provisions of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 and instructions dated 03-03-2008 issued thereunder.

2. On 11-06-2004, Gram Panchayat had earlier leased out this land for five years for an amount of Rs.15,200/- (which works out to Rs. 600/- per acre per year) in favour of Shri Mahabir son of Shri Ram Kishan, resident of Village Wazirabad.

In the meanwhile, on 09-05-2008 and 10-07-2009, 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' made requests to the Gram Panchayat Ullawas for allocation of six acres of land to set up a three-hundred bedded Charitable Eye Hospital. Gram Panchayat Ullawas had initially passed a resolution dated 27-05-2008 for sale of 40 Kanal - 03 Marlas of land. Again on 20-07-2009, Gram Panchayat passed another resolution for lease of land measuring 40 Kanal -3Marlas for a period of 33 years as per provisions of Rule 6(5) of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, which provides for lease of land for a period of 33 years.

In the Panchayat Resolution dated 20-07-2009, Gram Panchayat Ullawas noted the immense benefits to inhabitants of the village and the entire surrounding area on account of opening up of this prestigious Eye Hospital and imposed following specific conditions for grant of lease:—

(i) All BPL families of the Village will be given free treatment for life.

(ii) Residents of Village Ullawas will get confessional treatment in the Hospital for life.

(iii) All Class-IV employees in the Hospital shall be residents of Village Ullawas.

(iv) Lease money shall be charged as per collector rate.

(v) All Government instructions and conditions qua grant of lease of Panchayat land shall be met with in to -

Deputy Commissioner, Gurgaon accordingly forwarded the proposal of Gram Panchayat to the Government.

(3) On 02-06-2009, Government issued a notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for acquisition of nearly 1500 acres of land including the land in question.

On 13-08-2009, State Government approved the proposal of Gram Panchayat for grant of lease of this land for a period of 33 years to 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' by imposing additional conditions in following terms:—

(i) Period of lease shall not exceed 33 years.

(ii) The land shall be used for the purpose for which it is leased and shall not be used for any other purpose.

(iii) The lessee shall put the leased land to the permitted use within two years from the date of commencement of lease period.

(iv) The lessee shall not further transfer or sub-lease the land.

(v) The Eye Hospital shall be run on 'No profit No Loss basis'.

(vi) The Trust shall provide free medical facilities to the BPL families and concessional medical facilities to the other inhabitants of the village.

(vii) Annual lease money shall be deposited in advance by the lessee.

(viii) Class-IV employees shall be appointed from amongst the inhabitants of the village on priority basis.

(ix) Lease money shall be Rs. 1000/- per acre per year.

(x) 5% of the beds shall be reserved for the recommendees of the State Government at concessional rates.

(xi) In case of breach of any of the conditions by the lessee, the lease shall automatically be deemed to be cancelled/revoked.

(xii) The approval shall be valid for this financial year i.e. upto 31-03-2010 and if the lease deed is not executed within this period, the Gram Panchayat has to obtain approval afresh.

Government also decided to lease the land to 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' at the concessional rate of Rs. 1000/- per acre per year in view of the nature of its charitable activities, condition of running the hospital on 'No Profit - No Loss' basis and the benefit of the residents of the Village as also of surrounding area.

It was also decided in principle to exclude the land from the process of acquisition in light of sanction of the lease in favour of the charitable trust for setting up of an Eye-Hospital.

(4) However, 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' made a written request dated 17-11-2009 to Gram Panchayat Ullawas for charging the lease money as per the prescribed Government rates without any concession or subsidy. On 23-11-2009, Gram Panchayat considered the request and passed a resolution in those terms. On 14-12-2009, Government accordingly accepted the request of 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' and amended the lease rate from Rs. 1000/- per acre per year to the normal lease rates in accordance with the Punjab Village Common Lands (Regulation), Act 1961 and Government instructions i.e. the lease amount being equivalent to 5% of collector rate i.e. Rs. 3 lakh per acre per year with progressive increase of 5% after every five years. All other conditions of allotment as brought out in para (2) above remained the same.

In pursuance thereto, 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' has already deposited two installments of lease money i.e. a total of Rs. 30,11,250/- in the Gram Panchayat's fund. There is no irregularity whatsoever in lease of this land and same has been done in accordance with the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 and the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 framed thereunder.

(5) It is pertinent to mention that 72 writ petitions were filed qua acquisition of land falling under the proposed Sectors 58 to 63 and 65 to 67 in Urban Estate, Gurgaon. Lease of land to 'Rajiv Gandhi Charitable Trust' has not been challenged in any of these writ petitions. Newspaper reports reflect that a petition has recently been instituted in the Hon'ble Punjab & Haryana High Court qua lease of land to 'Rajiv Gandhi Charitable Trust'. Deputy Speaker Sir, Newspaper reports again reflect that after arguments that Petition has also been dismissed and withdrawn. No notice of this petition has, however, been received by the State Government.

(6) Action of the State Government is in public interest and is in accordance with law of the land.

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत जवाब दिया है और इस जवाब में बहुत से महत्वपूर्ण बिन्दु उठकर सामने आये हैं जैसे वर्ष 2003 में सम्बंधित एक्ट में अमैंडमैंट करके उपहार आदि के रूप में ज़मीन देने का प्रावधान रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वैसे तो यह एक्ट पास हुआ था it was not only notification और फिर वह भी प्रमाणित हो जाता है कि जिस दिन हाउस में यह बिल पास हुआ उस दिन माननीय सदस्य श्री कृष्ण पाल गुर्जर सदन में मौजूद थे। एज ए मैम्बर वे ऑब्जैक्शन कर सकते हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रूल 13 में 22.3.2001 को जो संशोधन किया उसके बाद उसको अधिनियम में कनवर्ट कर दिया गया उस समय से लेकर अब तक कितने ट्रस्टों को जमीन दी गई और वे कौन-कौन से ट्रस्ट हैं और कितनी भूमि इस तरह से उपहार में दी गई है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जवाब में स्पैसिफिकली कहा जो रूल में संशोधन किया गया था और फिर एक्ट में रिट्रोस्पैक्टिव संशोधन किया गया, इसका एक कांटैक्सट था। एक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री की जो ट्रस्ट थी, उसको लगभग 422 कैनाल भूमि गिफ्ट में और लगभग 500 एकड़ भूमि बिना गिफ्ट के वैसे ही उनके पास थी, यह आपकी नॉलेज में है। यह लगभग 600 एकड़ भूमि रूल 13 के तहत सरकार के द्वारा गिफ्ट में दे दी गई थी। जब यह भूमि दी गई तो बी.एल.वढेरा वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका आई और उस याचिका में उच्चतम न्यायालय ने सभी पहलुओं की जाँच की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह जो भूमि दी गई है इस भूमि को गिफ्ट में देने का कोई प्रावधान पंजाब विलेज कॉमन लैंड रैग्यूलेशन एक्ट 1961 में नहीं था और केवल रूल 13 की शक्तियों का इस्तेमाल करके आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी वजह से 1961 के एक्ट में भी 5 (i) A संशोधन करके जोड़ लिया गया और 5(ii) में फिर उसको प्रतिस्थापित करके उसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दिया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा है कि किन-किन ट्रस्टों को किस नाम से और कितनी जमीन उपहार में दी गई है? मैं जो पूछना चाहता हूँ उसका जवाब नहीं आया है। उस समय जो संशोधन किया गया था और उसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया गया था तो उस वक्त किन-किन ट्रस्टों को यह जमीन दी गई थी? उनको उपहार में दी गई है या कोई रेट लिया गया है और अगर रेट लिया गया है तो क्या रेट है मैं यह पूछना चाहता हूँ?

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, रूल्ज में यह प्रोसीजर है कि जो भी कॉलिंग अटैन्शन मोशन देता है वही सदस्य प्रश्न पूछ सकता है बाकी आप किसी को अलाउ करें तो वह आपके ऊपर है।

Mr. Speaker : Well, there is a Rule but I have allowed him.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह जो कालिंग अटैन्शन मोशन प्रो० सम्पत सिंह जी ने दिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोशन है और मंत्री जी ने भी बहुत विस्तार से रूल एण्ड रैगूलेशन के हिसाब से इसका जवाब सदन के सामने रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, मैं आपको पंकच्युएट करूँगा कि यह प्रो० सम्पत सिंह जी का कालिंग अटैन्शन मोशन है लेकिन यह श्री अजय सिंह चौटाला, रामपाल माजरा, कर्नल रघबीर सिंह और उनके दूसरे एम.एल.एज. ने एक और कालिंग अंटेशन मोशन और दिया है उन दोनों को क्लब करके मैं आज सुन रहा हूँ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उनको साथ जोड़ कर ही कहता हूँ कि इसमें जो पंचायत की शामलात भूमि हैं, पाना शामलात भूमि हैं या निगम की भूमियाँ हैं उन पर पिछले ओमप्रकाश चौटाला के राज में जबरदस्ती कब्जे करके कॉमर्शियल लैंड को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर उनका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने ट्रस्ट और सोसायटीज हैं जो देवीलाल फैमिली को ओमप्रकाश चौटाला के राज में अलॉट किए गए थे? अध्यक्ष महोदय, ऐसी अरबों रुपयों की प्रोपर्टी है और वह बहुत ही कॉमर्शियल लैण्ड है।

श्री अध्यक्ष : यह भी बताया जाए कि उनकी कॉमर्शियल कीमत क्या है ?

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, बाजार के हिसाब से वैसे भी यह अरबों रुपयों की प्रोपर्टी है उसको उन्होंने अपने हिसाब से डिवैल्प किया है और अब वे करोड़ों रुपये प्रति माह का किराया लेकर अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी प्रोपर्टी की जानकारी आज पूरा प्रदेश और यह सदन भी जानना चाहता है कि किस तरीके से लूट खसोट करके, जोर जबरदस्ती करके अपने परिवार के नाम प्रोपर्टी करके उन्होंने इस प्रदेश को लूटा और ठगा है। पूरा सदन इस बात को जानना चाहता है कि कितनी लैण्ड उनके कब्जे में है और वह किस किस हैड में है और क्या वह लैण्ड नियमों के अनुसार उनको अलॉट की गयी है या दी गयी है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो सम्पत सिंह जी ने और दांगी साहब ने प्रश्न पूछे हैं ये लगभग एक से ही हैं। मैंने आपको इसकी स्टैच्यूटरी बैकग्राउंड बतायी है कि किस प्रकार से एक विशेष ट्रस्ट को जमीन दी गयी थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने वह क्वैश की तो उन्होंने एक्ट में भी अमैंड किया था। दांगी साहब की बात सच है कि चौधरी देवीलाल के परिवार को जिसमें भिन्न-भिन्न उनके परिवार के लोग जो अभी यहां मौजूद नहीं है, सदस्य हैं, उनके नाम से या उनके साथियों के द्वारा जो उन्होंने ट्रस्ट बना लिया है, उसकी बहुत सारी जमीन उन्होंने खुद ही गिफ्ट दे दी या फिर ट्रांसफर या एक्सचेंज में दे दी। सर, जब हमने सारे कागजात निकाले तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हरियाणा में एक कहावत है कि अंधा बांटे सिरणी मुड मुड अपने को दे। ये देने वाले भी खुद हैं और लेने वाले भी खुद हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो इंस्टांसिज उनके परिवार या उनके नाम से जुड़े हुए हैं उनके अनुसार 9 गिफ्ट के इंस्टांसिज हैं। सर, 5.6.2001 को आई.एन.एल.डी. और बी.जे.पी. गवर्नमैंट जिसके मुख्यमंत्री उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उन्होंने 52 कैनाल 13 मरला जमीन जो काफी कीमती थी, वह गांव मनाना जिला पानीपत में देवीलाल कालेज सैटअप करने के लिए बगैर एक पैसा लिए गिफ्ट में, दान में दी।

Mr. Speaker : Is it in the NCR?

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes Sir, it is in the NCR.

Mr. Speaker : What could be the price of this land?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, आज के समय में इसका एक्विजीशन रेट 40 लाख रुपये से ऊपर है और यह 52 कनाल 13 मरले जमीन है।

Mr. Speaker : What would be the commercial rates?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, commercial rates would be far-far higher. It would not be appropriate for me to hazard a guess. Shah Ji is here, other friends are here and I am sure they can tell you that the rates are far-far higher. 25 सितम्बर, 2001 को एक बार फिर आई.एन.एल.डी. और बी.जे.पी. गवर्नमैंट ने जिसके मुखिया उस समय ओम प्रकाश चौटाला थे, जमीन अलॉट की थी।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यदि बी.जे.पी. के किसी आदमी ने ट्रस्ट बनाया हो या कोई जमीन ली हो तो ये बता दें। ये बार बार बी.जे.पी.का नाम लेते हैं। अगर एच.वी.पी. एवं

बी.जे.पी. की सरकार में जिस कैबिनेट में हम शामिल थे, किसी ऐसे ट्रस्ट को जमीन दी हो तो ये बता दें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिन जिन ट्रस्ट्स को जमीन दी है उसके बारे में भी बता दें। बी.जे.पी. के किसी भी आदमी का ट्रस्ट हो और उसने कोई जमीन ले रखी हो तो ये बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेनका गांधी ने चार एकड़ जमीन ले रखी है वह जमीन करोड़ों रुपयों की है। वह जमीन उनको फ्री में दी गयी है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में तो पहले ही बता दिया गया है। उस जमीन में पशु अस्पताल है वहां पर घायल पशुओं का फ्री में इलाज किया जाता है। इन्होंने जिन ट्रस्ट को जमीन दी है उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं लेकिन उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : सर, ये बार बार इस तरह की बात करके विघ्न डाल रहे हैं। He should be serious to listen Sir.(interruption) Sir, this is a State issue.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के किसी भी व्यक्ति ने हरियाणा में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है और न ही किसी ट्रस्ट के नाम से जमीन ली है फिर ये बार बार क्यों बी.जे.पी. का नाम लेते हैं? (विघ्न) हमने कैबिनेट में भी रहकर कोई फैसला नहीं किया था। हमें मौका मिला था लेकिन हमने ये काम नहीं किए थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उस समय बसिज के बहुत से परमिट आप लोगों ने दिए थे।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, उस समय की गवर्नमैंट में जब इनका एलायंस था तब इनको चौकीदार के रूप में दरवाजे पर बिठाया करते थे। अगर इनको मौका मिलता तो ये भी उस तरह से ही जमीन ले लेते लेकिन उन्होंने इनको कुछ लेने ही नहीं दिया।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कृष्णपाल किसी के दरवाजे पर नहीं बैठा था। अनिता जी, आप उस समय नहीं थीं उस समय हुड्डा साहब थे इसलिए वे इस बात के गवाह हैं। उस समय हम तो उनके भी चिट्ठे खोलते थे।

राव धर्मपाल : मेनका गांधी किस पार्टी की सांसद थीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब ये जो भी आपस में बात कर रहे हैं वह रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * *

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, ** **

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ** **

राव धर्मपाल : अध्यक्ष महोदय, ** **

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ** **

श्री नरेश कुमार शर्मा बादली : अध्यक्ष महोदय, ** **

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री प्रहलाद सिंह गिल्लांखेड़ा : अध्यक्ष महोदय, ** **

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ** **

राव धर्मपाल : अध्यक्ष महोदय, ** **

Mr. Speaker : Hon'ble Members before the Hon'ble Minister replies, let me clarify first. A lot of valuable time of the House has been wasted on just for clarification sake which should not have been done. I was listening to the reply given by the Hon'ble Minister. He said only to the extent of the combination of the INLD-BJP Government, which was led by INLD Government. He was only talking about a combination and was not making any personal allegation against any individual or a party. Therefore, there was no need for an agitation by Mr. Krishan Pal Gurjar. Anyhow, since everybody spoke here without my permission, I shall see that this is not to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कृष्णपाल गुर्जर जी काबिल दोस्त हैं फिर भी मैं इनको अश्योर करना चाहूंगा कि इसमें कोई पर्सनल एसपर्सन नहीं हैं। मैंने केवल एलायंस गवर्नमैंट की चर्चा की है ये उस कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं थे। मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनकी बात वाजिब है। इनके साथ वह होता था कि "वो जिसके हाथ का खंजर मेरी तलाश में था उसी को दोस्त समझकर लिपट गया हूं मैं"। परन्तु इन्होंने छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है इसलिए ये उस विषय पर आ जाएं। Speaker Sir, on 25th September, 2001 the then INLD Government of which the BJP was in alliance partner but not in the cabinet, gifted 16 Canals, 4 Marlas of prestigious and valuable land.

Mr. Speaker : Hereinafter referred to as INLD-BJP Government, BJP not participated.

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes, Sir. Speaker Sir, they had gifted 16 Canals, 4 Marlas of prestigious and valuable land of village Karman, District Faridabad to Ch. Devi Lal Trust. On 16th January, 2002, the then INLD-BJP Government where BJP was not a participant partner and Mr. Chautala was Chief Minister, gifted 2 Marlas of prestigious and valuable land to Ch. Devi Lal Gaushala, Sirsa. On 24th January, 2002, the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala gifted 20 Acres, 3 Kanals and 5 Marlas of prestigious and valuable land of Village Kanwarpura District Sirsa to Ch. Devi Lal Gaushala. Speaker Sir, again in the year 2002, the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala gifted 7 Acres and 2 Marlas of prestigious and valuable land of Village Khajakhera District, Sirsa to Ch. Devi Lal Trust. Again Sir, on 30th May, 2002 the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala gifted 17 Acres, 4 Kanals and 4 Marlas of prestigious and valuable land of Village Odha District Sirsa to Mata Harki Devi Memorial Education Trust हरकी देवी उनकी माता का नाम है जैसा कि आप जानते हैं। Speaker Sir, on 16th June, 2003, the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala gifted 5 Acres of prestigious and valuable land of Village Odha, District, Sirsa

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

again to Mata Harki Devi Memorial Education Trust. Again Sir, on 24th December, 2003, the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala gifted 9 Acres, 5 Kanals and 8 Marlas of prestigious and valuable land of Village Odha, District Sirsa again to Mata Harki Devi Memorial Education Trust. Again Sir, on 5th July, 2004 the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala gifted 80 Kanals and 11 Marlas of prestigious and valuable land of Village Siwah, District Panipat for setting up of Ch. Devi Lal Siksha Samiti. Then, Sir about Allotments, NDA Government allotted a big plot of land in Lodhi Road Institutional area which is also called Qutab Institutional area in the heart of Delhi to Ch. Devi Lal Trust. Speaker Sir, NDA Government also allotted a big plot of land on Madhya Marg, Sector-28, Chandigarh, which we all see opposite to the Grain Market-Sector-26, Chandigarh.

Mr. Speaker : Qutab area land was gifted to the them but by whom?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, it was the allotment. This land had been allotted by the NDA Government. This land is situated next to the office of Shiromani Akali Dal. This plot of land is also invaluable. Then, Sir about exchange, Sir, on 11th February, 2000, the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala allotted a prestigious plot measuring 4 thousand 5 hundred Sq. Metres (5 Thousand, 3 Hundred and 55 Sq. Yards) to Jan Seva Trust on National Highway No. 8 in Gurgaon in exchange of land of Jan Seva Trust. This change was effected with the land of HSIIDC which is situated on the main National Highway and on which a multi storyed commercial building with all green glasses has now been erected which we can see when go to Gurgaon. Sir, on 16th July, 2001, the then INLD-BJP Government...

Mr. Speaker : Why HSIIDC surrendered this land to the Government?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is a clear case of misuse of power. (Interruption) Chief Minister was allocating/gifting land to his own self. Nine such cases have been pointed out to you, Sir. In nine cases, prestigious land of various Gram Panchayats right from Sirsa to Panipat, Panipat to Faridabad was gifted to various institutions of Devi Lal Family without a pie, without a 12.00 बजे penny. CBI in its Report which has sent to you, a portion of which I have read out, has mentioned that Jan Seva Trust has got that building and that original land also allotted from the Government for running a printing press. They never had a printing press and instead they went to HSIIDC and got a resolution passed in their Board of Directors, exchanged their land and constructed a building. They do not publish any paper. Jan Seva Trust only do a job work and CBI has prima facie said that now it is being run for free. Lacs of rupees of rent and crores of rupees of building is now personal property of the Trust. Sir, transfer in purchases have also come to our notice. (Interruption)

On 11th December, 2004, the then INLD Government headed by Shri Om Prakash Chautala and he was at that time heading the Cabinet, sold 7 kanals and 14 marlas of valuable land of Government Livestock Farm, Hisar belonging to the Department of Animal Husbandry to Ch. Devi Lal Turst for a meagre sum of

rupees of 18,63,000/-. (Interruption) खुद को ही दे दी । (Interruption) I am just replying to the Calling Attention Motion.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिन ट्रस्टों के बारे में मंत्री जी बता रहे हैं कि इन्होंने नार्म्ज का वायलेशन किया है तो क्या इनको दी गई जमीनों को सरकार कैंसिल करेगी ?

Shri Randeep Singh Surjewala : I will also answer to that. On 11th December, 2004, again the then INLD-BJP Government headed by Shri Om Prakash Chautala. He himself sold Government land to his own Trust, sold prestigious valuable land measuring 7110 square yards of Municipal Council, Narnaual, District Mahendergarh to Ch. Devi Lal Trust for a meagre sum of rupees 54,74,700/-. These are some of the information that I have been able to collect from the various Departments of the Government.

Mr. Speaker : 'Some' means more skeletons are there?

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes Sir. There may be some more. These are some because there was only two days' time with us for this Calling Attention Motion. These are some that we could collect. Shri Krishan Pal Gurjar has raised a valid issue. Yesterday the issue was also deliberated before you. On the suggestion of Shri Krishan Pal Gurjar, a House Committee has been constituted and whatever action the Committee would recommend as constituted by you then we will take action accordingly and the Committee may report within 30-40-45 days. I have made a promise on behalf of the Leader of the House.

Mr. Speaker : What precisely of the time of the report, Mr. Gurjar, of our Committee constituted by this House? कमेटी की रिपोर्ट गुर्जर साहब कितने दिन में आनी चाहिए।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कम से कम समय में रिपोर्ट आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, मुझे नहीं पता, आप समय बतायें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, चाहे आप इसके लिए 45 दिन या 60 दिन का समय रख सकते हैं लेकिन ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और हर पार्टी का सदस्य उस कमेटी का मैंबर हो।

Mr. Speaker : Let me know the exact value of that land. If you are not hazarding a guess today, you can probably look into it as what could be the total commercial value as Prof. Sampat Singh has also asked. Since, we are not dived into that issue, we probably cannot hazarding a guess today, but if you go to know at any stage then let the House know or let me know also so that let all the Members of the House know that what could be total commercial value of the land so advanced by personal sale to himself or anybody else to transfer.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, my humble suggestion is that since the matter is being referred to the Committee, we may leave it to the domain of the Committee as one of the terms of reference.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने लास्ट में यह कहा था कि वे पंचायतें जिन्होंने आमदनी के साधन खो दिये हैं, अब यह मांग कर रही हैं कि यह संशोधन जब से हरियाणा राज्य बना तब से लागू होना चाहिए। जैसा कि पहले भी परम्परा रही है और माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि उसको रेट्रोरिस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे कानून होते हैं जो प्रोस्पैक्टिव के बजाये रेट्रोरिस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू होते हैं। इस बारे में मैं यह चाहता हूं कि यह कानून भी रेट्रोरिस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाये। अगर ज्यादा नहीं तो पहले जब संशोधन हुआ था और अब जो संशोधन किया गया है उसके बीच का पीरियड या कम से कम जिनका इन्होंने जिक्र किया है उस पीरियड वाले जितने भी पट्टे हैं उन सब पर यही एक्ट रेट्रोरिस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू हो जाये तो सारे का सारा झंझट ही समाप्त हो जायेगा क्योंकि इसमें सारी रेलेवैंट चीजें आ जायेंगी। एक बात मैंने इस बारे में यह पूछी थी कि लोग इस तरह की ज़मीनों का व्यावसायिक यूज़ कर रहे हैं। यहां यह जवाब में भी लिखा गया है कि जो ज़मीन जिस उद्देश्य के लिए प्रयोग हेतु ली गई थी उसका उस उद्देश्य के लिए प्रयोग न होने की सूरत में वह ज़मीन पंचायतों को वापस आ जायेगी। इस बारे में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह इतना अधिक सीरियस मैटर था जिसके लिए हर आदमी इतना चिंतित था and the Government was also concerned इसलिए सरकार द्वारा अब तक ऐसी कितनी ज़मीनों का पता लगाया गया है जिनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। लोगों को प्रजैंट गवर्नमैंट से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं कि गवर्नमैंट इस बारे में कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी क्योंकि यह एक ट्रांसपेरैंट गवर्नमैंट है। अगर इसी प्रकार से बड़े लोग पंचायतों की ज़मीनों और व्यक्तिगत ज़मीनों पर अनधिकृत रूप से कब्ज़ा करते रहेंगे तो आगे चलकर यह समस्या भयंकर रूप धारण कर जायेगी जो कि किसी भी प्रकार से प्रदेश व प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा। यह बात तो अलग आ गई है। इसी प्रकार से जैसे जुमला मालिकान की ज़मीनें हैं। जो लोग इक्ट्ठे पट्टेदार और ठोलेदार होते हैं उनकी ज़मीनों की भी तीन मालिकों से रजिस्ट्री करवा ली गई और रजिस्ट्री करवाकर उस ज़मीन का जो सबसे अच्छा हिस्सा था उसको काबू कर लिया गया जैसे भिवानी में हुआ है। सामान्य बस स्टैण्ड, भिवानी के पास एक बहुत बड़ा कमर्शियल हाउस बना है जिसमें 100 दुकानें हैं और साथ में मैरिज पैलेस भी है। इसी प्रकार से सामान्य बस स्टैण्ड के पास रोहतक में हुआ है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, क्या श्री सम्पत सिंह जी बतायेंगे कि ये सब भिवानी और रोहतक में किसने बनाया है ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जिसका यहां पर जिक्र चल रहा है यह सब उसी देवी लाल ट्रस्ट ने ही बनाया है। पार्टी ऑफिस का नाम दे रखा है और बाकायदा झण्डा भी लगाया हुआ है लेकिन जितने भी काम हो रहे हैं वे पूरी तरह से कॉमर्शियल हो रहे हैं। एक पैट्रोल पम्प भी वहां पर चल रहा है, 100 दुकानें किराये पर दी हुई हैं और एक मैरिज पैलेस भी बना हुआ है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, प्रो. सम्पत सिंह जी ने वहां पर स्वयं भी मीटिंग्ज़ की हैं और वहां पर होने वाली शादियों को भी अटैण्ड किया है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि मैंने वहां पर मीटिंग्ज़ की हैं और वहां पर शादियों में भी गया हूं लेकिन इसके साथ यह बात भी सत्य है कि श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी भी वहां पर शादियों को अटैण्ड करने के लिए जाते रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने निस्वार्थ राजनीति की है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Yes, Mrs. Kiran Choudhary, what you would like to say?

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : स्पीकर सर, श्री सम्पत सिंह जी की बात बिलकुल सही है कि भिवानी बस स्टैण्ड के पास 100 दुकानें किराये पर चल रही हैं और एक मैरिज पैलेस के साथ-साथ एक पेट्रोल पम्प भी चल रहा है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Krishan Pal Gurjar Ji, no running commentary please. Yes, Mr. Sampat Singh Ji, please continue. सम्पत सिंह जी, आप एक बात बताइये जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पर मैरिज पैलेस में मैरिजिज़ हो रही हैं इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैरिज करवाना तो अच्छी बात है। मैरिज करवाने में क्या बुराई है ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैरिज करवाना अच्छी बात है लेकिन वहां पर मैरिज पैलेस होने में यह बुराई है कि उसका प्रयोग व्यवसायिक रूप से हो रहा है। जो चैरीटेबल ट्रस्ट है उसको गरीब बच्चों की मैरिज के लिए फ्री में दे दिया जाये तो यह अच्छी बात होगी।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने श्री सम्पत सिंह से यह कालिंग अटेंशन मोशन दिलवाकर ठीक नहीं किया।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, कृष्ण पाल जी की यह बात बिलकुल सही नहीं है क्योंकि विधान सभा सदस्य होने के नाते कालिंग अटेंशन मोशन देने का मेरा अधिकार है। एक सदस्य के रूप में मुझे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का पूर्ण ज्ञान है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हमारे माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि मैने प्रो० सम्पत सिंह जी से कालिंग अटेंशन मोशन दिलवाया है ऐसी बात नहीं है बल्कि यह तो प्रत्येक सदस्य का अधिकार है जिसके तहत श्री गुर्जर जी ने भी कालिंग अटेंशन मोशन दिया है और प्रो० सम्पत सिंह जी ने भी कालिंग अटेंशन मोशन दिया है।

Mr. Speaker : Krishan Pal Gurjar Ji, no running commentary please. Yes, Mr. Sampat Singh please continue.

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, you have already committed yesterday. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप प्लीज़ एक मिनट के लिए बैठिए। कृष्ण पाल गुर्जर जी मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी राजनीतिक पवित्र गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद कोई भी आदमी पवित्र हो जाता है। एक समय में किसी के घर में पैसे मिलने पर पार्लियामैंट को चलने नहीं दिया गया था लेकिन वे जब एक पवित्र गंगा में नहाये तो वे साफ हो गये। इसी प्रकार से सम्पत सिंह जी ने भी जब से राजनीति की इस पवित्र गंगा में स्नान कर लिया है तो ये भी पवित्र हो गये हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मेरी सारी की सारी कंक्शनिंग थी यह स्क्रूटनाईज़ हो गई है जिसमें पहले सैशन कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट ने मुझे बाकायदा बाइज्जत बरी कर दिया है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Such personal aspersions may be avoided.

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, इस विषय पर यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती इसलिए प्लीज़ आप अपने कालिंग अटेंशन मोशन पर ही बोलिए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये चाहे जितनी बातें करें लेकिन पार्टी की भी ज्वाइंट रिस्पोंसिबिलिटी होती है। जब वोट पड़ा था तो इन्होंने इस बिल का समर्थन किया था। मैं कैबिनेट में था और हमसे कोई गलती हो गई। गलती होने के बाद विधान सभा उसको पास करती है और विधान सभा उसको दुरूस्त कर सकती है। Vidhan Sabha can reject it. ये लोग साथ ना देते तो वह रिजैक्ट भी हो सकता था। इसलिए इनकी सपोर्ट से यह बिल पास हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा की कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए कि क्या इन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया है ? क्या उस बिल पर मत का विभाजन करवाया गया। अगर इनकी इतनी ही ताकत थी तो उस समय इस्तेमाल करते। कैबिनेट गलती कर सकती है लेकिन विधान सभा तो उसको सुधार सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं बोलता था ये पूछते थे कि आप हम में हैं या विरोध में हैं तो मैंने उस समय भी कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी डिसाईड नहीं कर पाता उसकी यही पोजीशन होती है, इस बारे में सरदार प्रताप सिंह कैरों की मिसाल है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : ये चाहे कितनी बार ही गंगा नहा लें लेकिन इनके पाप माफ नहीं होते।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हम तो आपके भी पाप माफ कर देंगे गुर्जर जी, एक बार आप भी गंगा जी नहा लो।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई पाप नहीं है। मैंने हमेशा ईमानदारी की राजनीति की है, नि:स्वार्थ की राजनीति की है। मैं एक साधारण परिवार से उठ कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। यह तो मेरे हल्के की जनता जानती है जिसने 6-6 बार मुझे विधायक बनाकर भेजा है। इस तरह की पोजीशन हर आदमी की नहीं हो सकती है। जो यहाँ तक पहुंचता है उसको पता है कि कितना ईमानदार आदमी रहेगा, कितना नि:स्वार्थ काम करेगा, जनहित के काम करेगा, तभी लोग उसको चुनते हैं। इसका रिजल्ट आपने देख लिया कि जब मैं उधर था उस समय जहाँ मेरे इलाके के 9 हलके थे और सभी 9 में कांग्रेस लॉस्ट थी उसके बाद जब मैं इधर आया तो कांग्रेस 5 सीटों पर जीत कर आई है। इसका मतलब मेरे आचरण को लोगों ने पसन्द किया है। मेरी चीज को, पार्टी को पसन्द किया, मेरे फैसले पर मोहर लगाई। ऐसे आदमी की पत्नी से जीत कर आया हूँ जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार करनाल से एम.पी. का इलैक्शन हारे थे तथा एम.एल.ए. का चुनाव कभी नहीं हारे। उन्हीं के एरिया में कांग्रेस की टिकट पर 11000 मतों से धूल चटा कर आया हूँ। यह रिजल्ट उसका निकला है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोफैसर साहब कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। उस समय हम विपक्ष में होते थे और ये सत्ता पक्ष में मंत्री होते थे तो हमने इनके आचरण और चरित्र को देख कर कहा कि यह पार्टी आपके मतलब की नहीं है। ऐसे आचरण वाले व्यक्तियों की कांग्रेस पार्टी में जरूरत है। आप कांग्रेस पार्टी में चलो और हम इनको लेकर आये।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Library Chandigarh

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल जी को भी पुचकारो वे भी तैयार बैठे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृष्णपाल जी तो पहले ही कई नदियों में नहा चुके हैं। मैं जब लोकदल में युवा का प्रधान था उस समय श्री कृष्णा पाल जी जिले के युवा लोकदल के जनरल सैक्रेटरी थे। ये बी.जे.पी. में तो बहुत बाद में आये हैं। मेरे जनरल सैक्रेटरी रहे हैं। मैं स्टेट का मालिक था और ये युवा लोकदल के जिले के जनरल सैक्रेटरी हुआ करते थे। ये तो पता नहीं कितनी गंगाओं में नहा लिये। कभी लोकदल को समर्थन दे देना और कभी हरियाणा विकास पार्टी को समर्थन दे देना और कभी समर्थन वापस लेना, वरना चौधरी बंसीलाल जी से समर्थन वापस लेने का क्या कारण था, क्यों समर्थन वापस लिया गया ? इनका यही काम रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। आज जो हम यहां पर लोग बैठे हैं केवल मैं ही नहीं बल्कि जो दाएं या बाएं बैठे हुए लोग आपको नजर आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे लेकिन आज वे कांग्रेस पार्टी में हैं। इसका मतलब इस पार्टी में कोई न कोई खासियत है, कोई न कोई खूबी है, इसमें सबको मान सम्मान मिलता है, ट्रांसपियरैन्सी चलती है और एक सिस्टम बना हुआ है इसीलिए आज लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। सर, अगर आप पूरे हाउस में देखेंगे तो आप पाएंगे कि विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के आने के बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी में नहीं थे लेकिन आज वे कांग्रेस पार्टी में हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज राजनीति का सिस्टम बदला है, इन्होंने आज बदला और बदली को, बायस को और ईर्ष्या को खत्म कर दिया है, इन्होंने अब झूठे मुकदमें बनाने बंद कर दिए हैं, लोगों को तंग करना बंद कर दिया है। जिस तरह से लोगों ने इनकी राजनीति को पसंद किया है उसके बाद सारे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आ गया है। वरना तो पहले रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिलों में कांग्रेस का क्या काम था। इन इलाकों में अगर कांग्रेस को जीवनदान मिला है तो वह इस शख्सियत की वजह से मिला है। इसी वजह से ही लोग इनके साथ जुड़ते गए हैं वरना तो वह सारे का सारा इलाका लोकदल का गढ़ हुआ करता था। आज इन्होंने सारा सिस्टम बदल दिया है। मेरे साथी ने जो कुछ कहा उसके लिए तो मैंने पहले ही माफी मांग ली है। मैं तो माफी मंत्री हूं छोटा सा आदमी हूं। बड़े लोग माफी नहीं मांगते हैं लेकिन मैं तो माफी मांग लेता हूं। जब मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गयी और जब उस तरह की चीजों को बर्दाश्त करने का टाईम खत्म हो गया तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। जब कृष्णा पाल जी की तरफ से यह बात आयी कि आपका उस पार्टी में क्या काम तो अब मैं इनको क्या बताऊं कि मैं किस मजबूरी में वहां बंधा हुआ था। जब वक्त आया तो मैंने सोचा कि कहीं ये फिर से रिवाइव न कर जाएं, कहीं ये फिर से प्रदेश का सत्यानाश न कर दें इसलिए अब इनको सबक सिखाने का टाईम आ गया है। स्पीकर सर, ऐसी ताकतों को रोकने के लिए मैंने ऐसा किया था। ये किसी की भी स्पोर्ट ले सकते थे। स्पीकर सर, चौधरी बंसीलाल जैसे वरिष्ठ आदमी, ईमानदार आदमी जिनको हरियाणा का निर्माता कहते हैं, उनकी सरकार से बी.जे.पी. ने समर्थन वापस लेकर उस आदमी को समर्थन दे दिया था और उसको सारे हरियाणा प्रदेश के सिर पर बिठा दिया था। (विघ्न) मेरे समर्थन से क्या बनना था क्योंकि अगर मैं समर्थन न भी देता तो क्या हो जाता। मैं तो उस पार्टी में था और रूल से बंधा हुआ था। एंटी डिफैक्शन बिल बना हुआ है इसलिए मैं उससे बाहर नहीं जा सकता था लेकिन ये लोग तो दूसरी पार्टी में थे इनको चौधरी बंसीलाल जी से समर्थन वापस लेकर उनको समर्थन देने की क्या जरूरत थी ? सारा कसूर इनका ही है। आगे भी इनका नहीं पता कि ये किसके साथ जाएंगे, अभी तक इनका इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है हो सकता है कि ये दोबारा से उसी गंगा में चले जाएं। इनका कुछ नहीं

फ्ता, ये ऐसा कर सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं सुरजेवाला जी से यह पूछना चाहता था कि जब से यह एक्ट बना है और उसमें सरकार ने संशोधन किए हैं कि इस तरह के ट्रस्ट और सोसायटीज की जमीन रिजैक्ट की जा सकती है या वह जमीन वापस पंचायतों को लौटाई जा सकती है तो क्यों नहीं ऐसे ट्रस्टों की जमीन, ऐसी सोसायटीज की जमीन जिनका व्यवसायिक यूज हो रहा है और जिस परपज के लिए उनको जमीन दी गयी थी उस परपज के लिए उनका यूज नहीं हो रहा है तो अब तक इनको वापस क्यों नहीं लिया गया और अगर वापस कर लिया है तो कितने ऐसे ट्रस्ट हैं जिनकी जमीन सरकार ने बिना किसी चीज का इंतजार किए हुए रिजैक्ट की हैं?

Mr. Speaker : I think more than two supplementries have already been asked and as per rule only two supplementries could have asked. Now we have given end to this.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहले इसलिए ही इनसिस्ट कर रहा था कि मैं रिप्लाई अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। मैं माननीय साथी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो मैंने रिप्लाई दी है उसके पेज पांच पर रूल 5-B (1) में यह लिखा है कि-

> Any transfer of land, gifted, sold, exchanged or leased before or after the commencement of this 'Act'.

जो आदरणीय सम्पत सिंह जी कह रहे हैं वह ऑलरेडी कवर है। जमीन कैंसिल करने का प्रोसीजर रूल 5-B (2) में है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members just let me read. Let me announce something. (Interruption).

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I want to ask only one question. अध्यक्ष महोदय, इतना डिटेल्ड रिप्लाई दिया गया। माननीय मंत्री जी मेरे पुराने मित्र हैं और हम एक बैंच पर साथ साथ बैठते रहे थे काबिल मंत्री हैं। इसमें जो विस्तार से रिप्लाई दिया गया है उसमें एक चीज कही गई है कि राजीव गान्धी चैरीटेबल ट्रस्ट को 9.05.2008 को 300 बैड का अस्पताल बनाने के लिए ऑक्शन पर देने के लिए प्रावधान था लेकिन 09.05.2008 को लीज पर देने का प्रावधान था लेकिन ऑक्शन पर जमीन देने का प्रावधान नहीं था और वह भी वाईड पब्लिसिटी से देने का प्रावधान था। लेकिन मेरे पास एक्ट की कापी है जो applicable to Haryana है। To facilitate this trust सर, 23.01.2009 को यह एमैंडमैंट की गई that the Panchayat may get the prior approval of the State Government to lease out its land by allotment for a period not exceeding 30 years. Sir, only to facilitate to Rajiv Gandhi Charitable Trust this amendment has been made. Sir, this was my question. इस बारे में मैंने एक कालिंग अटेंशन मोशन भी दिया था।

Mr. Speaker : That question has already been adjudicated upon by the Hon'ble High Court.

Shri Randeep Singh Surjewala : I would still like to clarify so that my friend's query may be set aside. (Interruption).

Mr. Speaker : Let the answer come from the Hon'ble Minister. (Interruption). However, my observation is that the High Court has already adjudicated upon that, and therefore, I would not like anything to come on record which had been adjudicated upon by the Hon'ble High Court.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, my friend has cast an aspersion that Government has subsequently made an amendment without knowing the facts.

Mr. Speaker : The Hon'ble High Court has already come out with an evidence.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I want only one thing to point out सर, यह एक्ट नं. 8 ऑफ 2007 आया है। ये 2009 का पढ़ रहे हैं। यह अमैंडिंग एक्ट 2007 का है। If my learned friend had read my reply then he would come to know. आप मेरे जवाब के पेज नं. 5 के टॉप पर पढ़िए। 5(A)(1) it says that—

> "A Panchayat may, on such terms and conditions as may be prescribed, gift, sale, exchange or lease the land in shamlat deh vested in it under this Act to the members of Scheduled Castes and Backward Classes of the village in which such land is situated and to the persons of any other category."

श्री अनिल विज : सर, इस मोशन के साथ मेरा भी मोशन अटैच कर देते।

Mr. Speaker : Vij ji, you must seek my permission before you speak. Nothing is to be recorded. (Interruption) Have I allowed you to speak? Mr. Vij (Interruption) Seek my permission before you speak.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

Mr. Speaker: Mr. Vij, with all respect to you, I want to say that you may please seek my permission before you speak. (Interruption) My objection is don't stand up yourself.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

Mr. Speaker : Let the Minister complete his reply.

Shri Anil Vij : * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, यह प्रोविजन श्री बी.एल. वढ़ेरा के केस के बाद retrospective amendment द्वारा किया गया है तब से Act No.8 of 2007 जो है उसको दुरूस्त किया गया है। इस बारे में यह दुरूस्त किया गया कि सरकार द्वारा पंचायतों को यह अख्तियार दिया गया है कि वे अपनी जमीन को गिफ्ट, सेल या एक्सचेंज के लिए लीज पर दे सकती हैं तथा इसके लिए परप्ज स्पेसिफाईड हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Vij, you are again speaking without my permission. Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, अगर ये कानून की भाषा को मानने से इन्कार कर दें तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, ऑप्शन है ही नहीं।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded whatever is saying by Mr. Anil Vij without my permission. Mr. Surjewala, you may speak.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I have already answered.

Mr. Speaker : Thank you.

सदन की एक समिति का गठन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as per the wishes of the Members present in the House, which included members of all shades and I am constituting a Committee on the issue raised by Dr. Raghuvir Singh Kadian yesterday which will look into all the aspects. Shri B.B. Batra would be the Chairperson, Prof. Sampat Singh, Rao Dharam Pal, Shri Aftab Ahmed, MLAs would be its members from the Treasury Beneches and from the BJP side, Shri Krishan Pal Gurjar, MLA will be the Member and from INLD, Shri Gian Chand Gadh, MLA will also be its member. Six-member has been constituted.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जैसा आप फैसला करेंगें मुझे मंजूर है लेकिन मेरी एक हम्बल सबमिशन है चूंकि मैं उस समय कैबिनेट में मंत्री था इसलिए मेरी प्रायरिटी नहीं बनती। मेरा निवेदन है कि मुझे इस कमेटी में न रखा जाए।

Mr. Speaker : Alright. Hon'ble Members, Prof. Sampat Singh has made a request to exclude him from the Committee of the House which has been constituted by this House today. On his request, I put the name of Shri Anand Singh Dangi, MLA, who is also a senior member of the House. He will substitute in place of him. This will be six-member Committee and it will look all these aspects. The days as desired by Shri Krishan Pal Gurjar, 45-days, the Committee shall report to me and through me to the House. The scope of which shall be notified to all the Members.

Prof. Sampat Singh : Thank you, Sir.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

PWD(B&R) Minister(Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly',indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

PWD(B&R) Minister(Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the Table of the House.

PWD(B&R) Minister(Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Annual Report of Haryana Vidyut Prasarn Nigam Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2007-2008, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956 .

The 10th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 11th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Lokayukta, Haryana for the year 2010-2011, as required under section 17 (4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.

The 43rd Annual Report of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

विधान कार्य--

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now a Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Finance Minsiter (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.4) Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.4) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Revenue Minister will introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अनिल विज(अम्बाला छावनी) : स्पीकर सर, यह जो हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है इसके इरादे मुझे नेक नहीं लगते। इस बिल के माध्यम से जो बड़े भूमि माफिया हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और यह रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट के साथ किया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल को आज पास न करके सदन की एक कमेटी बनाकर उसको भेज दिया जाये ताकि इस बिल की एक-एक क्लाज

पर विचार किया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है इसलिए इस बिल को जल्दबाजी में पास न किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसानो के लिए 18 एकड़ जमीन का प्रावधान है। ये जो लैंड बैंक बनाये जा रहे हैं जैसे रिलायंस या दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने हजारों एकड़ जमीन खरीदी है केवल उनको फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लाया गया है इसलिए इसको आज पास न किया जाये और सदन की एक सलैक्ट कमेटी बनाकर विचार विमर्श के लिए उसको भेज दिया जाये।

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कुछ शंकाओं का जिक्र किया है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री अनिल विज जी बहुत समझदार हैं और ये हर चीज़ का बड़ी गहराई से चिंतन करते हैं लेकिन कई बार ये भ्रांति से भ्रमित हो जाते हैं। जहां तक ये इस बारे में किसी कम्पनी विशेष को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि किसी कम्पनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लाने की बात बिलकुल भी तर्कसंगत नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा कारण और उद्देश्य है वह यह है कि हमारा जो लैण्ड सीलिंग एक्ट, 1972 है उसमें जो कृषि क्षेत्र के लिए लिमिट है वह 18 एकड़ से लेकर बरानी ज़मीन तक 53-54 एकड़ तक की है लेकिन उसके बाद जो 1975 में अर्बन डिवैल्पमैंट रेगूलेशन एक्ट आया उसका उद्देश्य यह है कि जो बढ़ता हुआ शहरीकरण आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उन के विस्तार के लिए भी यह एक्ट लाया गया है जिससे संतुलित, वैध और एक वैल-प्लांड तरीके से शहरों की डिवैल्पमैंट हो सके। अब इन दोनों एक्ट्स में अपवाद शुरू हो गया और यह मामला हाई कोर्ट में भी गया। इस एक्ट में जो लिमिट है वह कैटेगरीज़वाईज 53-54 एकड़ तक है। जो ज़मीन साल में एक फसल देती है, जो ज़मीन दो फसलें देती है और जो बैरानी है इस प्रकार से विभिन्न केटेगरीज़ हैं लेकिन शहर में इस कानून के अंतर्गत 1975 से लेकर 2011 तक कितनी ही कम्पनियां, कितनी ही परियोजनायें और कितने डिवैल्पमैंट के काम हुए होंगे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्रकार के प्रोजैक्ट्स की संख्या हज़ारों में होगी इसलिए यह किसी कम्पनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे आवासीय कालोनी के लाईसैंस के लिए 100 एकड़ की परमिशन होती है। इस प्रकार का एक मामला कोर्ट में भी गया जिस पर कोर्ट ने कहा कि इन दोनों एक्ट्स में एक अपवाद शुरू हो गया है इसलिए इसको रेशनेलाईज़ किया जाये। अगर डिवैल्पमैंट के लिहाज से हम इसमें अमैंडमैंट नहीं करेंगे तो इससे प्रदेश की और विशेषकर शहरों की डिवैल्पमैंट अवरूद्ध हो जायेगी। इसमें कानूनी तौर पर भी रूकावट आती है इसलिए हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट से स्टेटस-को करने के बाद वह पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस स्टेटस-को को नहीं रखा। (विघ्न)

Mr. Speaker : Anil Vij Ji, please don't interrupt the Minister. Hon'ble Minister, please continue.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे माननीय सदस्य की शंका समाप्त हो जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है और इसमें एक नहीं अपितु हज़ारों कम्पनियां और प्रोजैक्ट्स शामिल हैं। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने भी 1999 में अर्बन डिवैल्पमैंट एक्ट को रिपील किया था कि इसकी पाबंदी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शहरों में इस प्रकार की पाबंदी लगाने से विभिन्न प्रोजैक्ट्स की डिवैल्पमैंट अवरूद्ध होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक्ट सिर्फ नॉन-एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट्स पर ही लागू होती है। इससे जो समस्या

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

पैदा हो रही है और लिटीगेशंज हो रही हैं और मामले कोर्टस तक पहुंच रहे हैं इससे वे सब खत्म हो जायेंगे क्योंकि यह कानून सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए है जिसका किसान को कोई नुकसान नहीं है। किसानों को इससे क्या आपत्ति हो सकती है क्योंकि उनके एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए तो अलग से लिमिट फिक्स है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसको 1975 से इसलिए लागू किया गया है कि जो प्रोजैक्ट्स उस समय से लगे हुए हैं वे प्रभावित न हों क्योंकि प्रोजैक्ट्स प्रभावित होने से वे कोर्ट में गये हैं। इसलिए आगे से प्रोजैक्ट्स प्रभावित न हों और वे कोर्ट में न जायें इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि जब से यह एक्ट लागू होगा और नॉन-एग्रीकल्चर सैक्टर पर शहर से बाहर भी अगर कोई व्यक्ति या कम्पनी ज़मीन अर्जित करती है तो एक साल के अन्दर उसके लिए वह कम्पनी लाईसैंस या परमिशन नहीं लेगी तो वह ज़मीन फिर उसी एक्ट के अधीन आ जायेगी। इसलिए इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं है और यह पूरे प्रान्त की डिवैल्पमैंट के हित में है। किसानों के हित के साथ-साथ शहरों और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह एक्ट आवश्यक है। इससे किसी व्यक्ति विशेष को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हजारों, लाखों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हित में इस बिल को हाउस को अवश्य पास करना चाहिए।

PWD(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the Minister has already given a very elaborate answer and all aspects have already been explained by the Hon'ble Minister. My learned friend perhaps has not read the Haryana Ceiling on Land Holdings Act 1972, Section 5, where already certain lands are excluded from the application Cooperative Society Lands, you know oustees lands, Government lands. The Minister has already pointed this fact. Sir, It the day of rapid urbanization and that's why Government of India in 1999 had abolished the Urban Land Ceiling Act also their Government was in power. We never objected to it because this is need for growing urban cities and landscapes and how will new universities come. How will new power projects come? How will new industries come? Maruti alone has a few hundred acres of land then Maruti should be closed down because they are violating the Land Ceiling Law. But Maruti does not do agriculture operations. They are contributing to the growth story of the state and there are many other such companies who are doing their manufacturing sector activities. It is important for them to be distinguished for agriculture activities. Hon'ble Minister has pointed out already that the act is only qua those activities which are either for example power sector, universities, big ticket projects, infrastructure projects such industries including may be a special economic zone why not they also contribute to the growth story of the nation and Bharatiya Janta Party when they were in power they introduced that concept of NDA Government of SEZ incidentally. If you do not know please correct your facts.

Mr. Speaker : He was not there at that time.

Shri Randeep Singh Surjewala : So there is nothing wrong with the Special Economic Zones is not a panacea for all ills neither it is a solution for all problems but yes it also contributes to growth story of the nation and that is a policy and an act that has been adopted by the parliament of the country. So that is about all the

amendment is not mend to help or harm anybody. It is only meant to ensure that the urban landscapes continues to increase which is a reality and the companies continue to come and contribute to the growth story of the country.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है। जब मैंने यह रिपोर्ट रिसीव की थी तो उस समय यह कलर्ड थी लेकिन अब यह ब्लैक एण्ड व्हाईट है जो कि ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको कलर्ड छपवा कर दो।

श्री अध्यक्ष : चट्ठा साहब, सिर्फ फोटोज कलर्ड दे देंगे।

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : नहीं सर, यह पूरी किताब कलर्ड थी यह उसी तरह की होनी चाहिए। जिस तरह यह छपी हुई है उसी तरह छाप दो।

श्री अध्यक्ष : ठीक है चट्ठा साहब, इसकी कलर्ड कापी करवाकर दे देंगें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, चट्ठा साहब ने जब यह रिसीव की थी तो कलर्ड बुक थी और देखते ही देखते वह ब्लैक एण्ड व्हाईट हो गई। अब ये चाहते हैं कि यह उसी प्रकार से छपे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

वॉक आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल पर कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप अपनी बात कह चुके हैं। प्लीज, अब आप बैठें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस बिल पर हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं तो इसके विरोध में हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य उनको इस बिल पर बोलने की अनुमति न दिए जाने के विरुद्ध सदन से वॉक-आउट कर गये।)

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Mahendra Partap Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज़ रोहतक (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Health Minister will introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा स्कूल टीचर्ज सिलैक्शन बोर्ड बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce the Haryana School Teachers Selection Board Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana School Teachers Selection Board Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana School Teachers Selection Board Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana School Teachers Selection Board Bill, be taken into consideration at once.

श्री आफताब अहमद (नूँह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मूव किया है। इसमें एक चीज है कि जिस परप्ज के लिए यह बिल लाया गया है वह हल होना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा टीचर्ज की भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या यह बिल आने के बाद इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी? आने वाले समय में फिर से वही प्रक्रिया फोलो न करनी पड़े और इतना समय लग जाए कि स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए फिर से शिक्षकों की कमी रहे। जो इस बोर्ड के मैम्बर्ज होंगे उनकी पारदर्शीता और ईमानदारी पर भी कोई अंकुश रखना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हरियाणा स्कूल टीचर्ज सिलैक्शन बोर्ड बनाने के लिए यह बिल आज हाउस में मूव किया हैं।

हरियाणा सरकार का एजूकेशन एक प्रायोरिटी सैक्टर है। हमने यह देखा है कि कई बार हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कोई रिक्विजीशन भेजी जाती है तो समय पर भर्ती नहीं हो पाती क्योंकि उनको कई और कार्य होते हैं जो उनको करने होते हैं। हरियाणा सरकार ने शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा है। जो भी वैकेन्सिज समय समय पर क्रिएट होती रहती हैं उनकी वजह से शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा के स्तर को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम राईट टू ऐजूकेशन एक्ट लागू कर रहे हैं जिसके तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। उसी हिसाब से और ज्यादा रैशनेलाईजेशन के तहत टीचर्ज की भर्ती की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी और यही पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से प्राईमरी स्कूल में हमारे नार्म्स 30 बच्चों पर एक टीचर है और अपर प्राईमरी स्कूल में 35 बच्चों पर एक टीचर है। इसी चीज को देखते हुए यह अलग से भर्ती बोर्ड बनाया गया है जो समय-समय पर रिटायरमैंट की वजह से या किसी की वोलैंटरी रिटायरमैंट की वजह से जो भी वैकैंसिज आयेंगी उसके लिए समय-समय पर उनके लिए भर्ती होती रहेगी। इसी को देखते हुए हमने पहले भी एक निर्णय लिया है कि बीच के शिक्षा सत्र के दौरान कोई भी टीचर रिटायर नहीं होगा उसको हम रिइम्प्लाय करके अगले साल के 31 मार्च तक रखेंगें। जहां तक बोर्ड की कार्य-प्रणाली के बारे में बात पूछी गई है। इसमें एक चेयरमैन और चार मैम्बर्ज होंगे और हमारा पूरा प्रयास भी रहेगा कि पूरे पारदर्शी तरीके से इसमें सारी भर्ती हो। आज यह समय की मांग है कि हम क्वालिटी टीचर्ज दें ताकि बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सके।

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) : सर, मैं इस बिल के समर्थन में खडा हुआ हूं। मैं शिक्षा मंत्री जी को और सरकार को एप्रिशिएट करता हूं कि सरकार टीचर्ज के बारे में चिन्तित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जगह स्कूलों में टीचर्ज की जगह खाली पड़ी हैं। इसलिए जो डी.ई.ओज. और हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट होते हैं वे अपनी पॉवर का मिसयूज भी करते हैं। डैपूटेशन पर किसी को कहीं भेज दिया किसी को कहीं भेज दिया और बहाने यही रहते हैं कि वहां टीचिंग सफर कर रही है। कई बार यह काम टीचर्ज को पनिशमैंट देने के लिए करते हैं और कई बार किसी और परप्ज के लिए करते हैं। सरकार यह बिल जो अलग से हरियाणा टीचर्ज सिलैक्शन बोर्ड बनाने के लिए लाई है। इसमें स्वाभाविक ही है कि इसके लिए केवल मात्र टीचर्ज के लिए ही भर्ती की जायेगी इसके लिए जल्दी ही कार्यवाही होगी इस बात को मैं एप्रिशिएट करता हूं। सर, एक बात है कि इस बोर्ड का काम तब से लागू माना जायेगा जब से इसके लिए सरकार की नोटिफिकेशन होगी। हर बिल का ऐसा ही प्रोसीजर होता है जब सरकार नोटिफिकेशन कर देती है उसी टाईम से लागू हो जाता है। सर, कई बार हमने देखा है और आपने भी देखा है कि लोकायुक्त बिल वर्ष 2002 में पास हुआ था और उसके लिए रूल्ज रेगूलेशंज बाद में बने और उसके लिए नोटिफिकेशन वर्ष 2008 में हुई। मैं इसके लिए यह चाहता हूं कि इस बिल के लिए नोटिफिकेशन इमीजिएट होनी चाहिए तभी इसका तुरन्त फायदा होगा। दूसरी चीज सर, इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और दूसरे सीनियर मंत्री भी बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इसी तरीके से क्लास-4 कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार ने कोई बॉडी कान्सटीच्यूट की थी लेकिन बाद में वह बॉडी खत्म कर दी गई इसका कारण क्या था यह मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई लीगल वजह रही हो। अब उन की भर्ती के लिए यह नहीं पता कि क्या होगा ? अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास टाईम नहीं है तो इसी तरह से हमें क्लास-4 के लिए भी अलग से सिलैक्शन बोर्ड बना देना चाहिए ताकि उनकी भर्ती समय पर की जा सके। इसी तरह से टैक्नीकल बोर्ड भी बनाना चाहिए

[प्रो० सम्पत सिंह]

क्योंकि कई चीज ऐसी होती हैं जो टैक्नीकलेटीज की होती हैं आज प्रोफैशनल का जमाना आ गया है और टैक्नीकल ऐजूकेशन का जमाना आ गया है इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बॉडी हर चीज के लिए भर्ती करेगी क्योंकि इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ने जैसे डाक्टर्ज की भर्ती के लिए रास्ता निकाला है। यह बहुत ही अच्छा तरीका है और इस सिस्टम से डाक्टर्ज मिल जाते हैं लेकिन फिर भी काफी पोस्ट्स वेकैंट रह ही जाती हैं। अगर कमीशन डाक्टर्ज की भर्ती करता फिर तो पता नहीं कितनी पोस्ट्स खाली रह जाती। अध्यक्ष महोदय, पुलिस रिक्रूटमैंटस के लिए ऐज 18 से 25 साल रखी गई है। यह ठीक है, यह ऐज बढ़िया है लेकिन 3 साल पहले जो वकैन्सीज निकाली गई थी उनकी भर्ती अभी तक नहीं हुई और न ही रिजल्ट आया है। जब रिजल्ट आयेगा तो हर बच्चा ओवर ऐज हो जाएगा। हमारे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि जब रिजल्ट आएगा हम ओवर ऐज हो जाएंगें और हमें सैकेंड चांस नहीं मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि क्यों न पुलिस रिक्रूटमैंटस सिस्टम को रैशेनेलाइज करके इनकी भर्ती भी हर साल की जाए जैसे डाक्टर्ज की भर्ती की जाती है। पुलिस की भर्ती भी हर साल बहुत जरूरी है क्योंकि आज के दिन पुलिस प्रशासन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर रिक्रूटमैंटस 4-4 साल तक लटकेंगी तो स्वाभाविक ही है कि जगह जगह पोस्टें खाली रह जाएंगी। खासकर गुड़गांव, फरीदाबाद, अम्बाला पंचकुला जोन में तो सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। हमारे पास हमारे एरिया के बच्चे रिक्वैस्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी ट्रांसफर उधर के एरिया में कर दो। हम बात करते हैं तो एस.पी. और आई.जी. कहते हैं कि हमारे पास 20 परसैंट स्टाफ है हम कैसे ट्रांसफर कर दें इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए।

Mr. Speaker : Restrict yourself to the bill and speak only on selection of teachers.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं।

Mr. Speaker : You should have brought it to my notice by separate resolution. We are talking on selection of teachers.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को भी लिखूंगा और आपको अलग से भी लिखूंगा।

Mr. Speaker : If you write, we will take it up.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि मैं लिखूंगा लेकिन मैं यहां प्वायंट आउट करना चाहूंगा कि कुछ चीजें जरूरी हैं जो हमें पब्लिक इंट्रस्ट में करनी चाहिए।

Mr. Speaker : Please, give your suggestions in writing.

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। हमारी आदरणीय मंत्री महोदया हमेशा क्वालिटी और क्वानटिटी एजूकेशन की बात करती हैं और इसलिए ही हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलैक्शन बोर्ड बिल लाया गया है यह अच्छी बात है। मैं एक बात उनके ध्यान में जरूर लाना चाहूंगी कि अगर वे अपनी क्वालिटी और क्वानटिटी एजूकेशन के टारगैट को पूरा करना चाहती हैं तो प्रदेश में जो स्कूल

धर्मशालाओं, मंदिरों या चौपालों में चल रहे हैं यानि जिनके पास कोई बिल्डिंग नहीं हैं क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जाएगा। जहां तक मुझे अपनी कांस्टीच्युंसी के बारे में पता है तो हमारे यहां 6 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनके पास कोई भवन नहीं है। इन स्कूलों की सूची इस प्रकार है- सैनीपुरा बस्ती का स्कूल वहां की चौपाल में चलाया जा रहा है। धानक बस्ती का स्कूल बस्ती के राम मंदिर में चल रहा है। ईदगाह कालोनी का स्कूल जिला पुलिस लाईन में चलाया जा रहा है। चौहान कालोनी का स्कूल गढ़ी घसीटा में चलाया जा रहा है। वैस्ट राम नगर कालोनी का स्कूल मण्डी में चलाया जा रहा है। डबलस्टोरी कालोनी का स्कूल कालोनी में बने मन्दिर में चल रहा है। हमने इस बारे में सरकार को कई बार लैटर भी लिखे हैं और नगर परिषद को भी इस बारे में हमने सुझाव दिए थे लेकिन फिर भी इन स्कूलों को कोई बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी वाकई में ही क्वालिटी और क्वानटिटी एजूकेशन चाहती हैं तो बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए प्रदेश में जितने ऐसे स्कूल हैं जिनके पास कोई भवन नहीं हैं उनके लिए भी कोई बिल लाया जाए।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल आया है मैं भी इस बिल के फेवर में हूं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार इस बात के लिए सीरियस हैं कि जो गवर्नमैंट स्कूल हैं वहां बच्चों को अच्छी एजूकेशन दी जाए। इस बारे में मेरा सरकार को केवल यह सुझाव है कि जो टीचर्स की सिलैक्शन है वह 100 परसैंट मैरिट पर होनी चाहिए तभी गवर्नमैंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन सकेगा।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है इसके चेयरमैन और मैम्बर को बनाने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाने की बात कही है। मेरा कहना यह है कि जो गाइडलाइंस बनेंगी उनको भी इस बिल में इनकारपोरेट कर लिया जाए Otherwise, it will be violation of that High Court's Judgment also.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा ओब्जैक्शन है कि ये गाइडलाइंस हरियाणा या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हैं न कि बोर्ड के लिए यानि ये गाइडलाइंस प्रीमियर सर्विसिज जैसे एच.सी.एस. वगैरह के लिए हैं।

Mr. Speaker : Which are constituted under the Constitution of India.

Prof. Sampat Singh : Yes, Sir.

Mr. Speaker : Thank you. Very valuable suggestions have come and the Hon'ble Minister has already incorporated those and the concerns of the Members have been noted by her.

13.00 बजे **(मुख्य संसदीय सचिव) श्री राम किशन फौजी** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हूं कि जो शिक्षकों की भर्ती के लिए यह बोर्ड बनाया जा रहा है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्ट्रव्यू होने के बाद तीन-तीन साल तक रिजल्ट ही न आये जैसा प्रो. सम्पत सिंह जी बता रहे थे। इसमें भर्ती की प्रक्रिया का टाईम लिमिट फिक्स किया जाना चाहिए तभी परपज हल हो सकेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हम जो यह बिल लेकर आये हैं इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और सुझाव भी दिए हैं। बहिन कविता जैन ने कई ऐसे स्कूलों का जिक्र किया है जो दूसरी बिल्डिंग्ज में चल रहे हैं। इस बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि क्वालिटी एजूकेशन देना हमारी प्राथमिकता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा इन्फ्रास्ट्रैक्चर मुहैया करवायें। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सुंदरीकरण पुरस्कार की घोषणा की है। जिन स्कूलों में साफ-सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया जायेगा उन स्कूलों को यह अवार्ड दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान के तहत सभी जगह प्राथमिकता पर कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय सदस्या की जहां-जहां भी डिमाण्ड हैं उनको हम एग्जामिन करवा लेंगे लेकिन सभी जिलों में हमने करोड़ो रुपया पहुंचवाया है ताकि समय रहते स्कूलों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो सके। शिक्षकों की भर्ती के लिए इस बोर्ड को बनाने का मुख्य कारण यह है कि रिटायरमैंट आदि होने के कारण जो पोस्टें खाली रह जाती थी उनको तुरंत भरा जा सके। मैं सदन में आश्वासन देना चाहूंगी कि समयबद्ध तरीके से यह बोर्ड कार्य करने का प्रयास करेगा और जो टीचर रिटायर होने वाले होंगे उनकी वैकेंसीज भी बोर्ड के पास इन एडवांस आ जायेगी ताकि एक रैगूलर भर्ती अच्छे ढंग से होती रहे।

Mr. Speaker : Smt. Kavita Jain's suggestion may come to this House through me. If, she may send me in writing, it will be referred to the Minister.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana School Teachers Selection Board Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 22

Mr. Speaker : Question is-

That Clauses 2 to 22 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि हरियाणा वैल्यू ऐडेड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, Excise & Taxation Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Choudhary) : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Excise & Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Choudhary) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अनिल धंतौड़ी (शाहबाद)(एस.सी.) : स्पीकर सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सोच है कि हरियाणा प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक हब के रूप में ख्याति दिलवाई जाये। मैं इसी सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बिल के अन्दर एस.सी और पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों के लिए एडमिशन फीस में कंसैशन की कोई सुविधा रखी गई है और इस यूनिवर्सिटी को रेगुलेट और कंट्रोल में रखने के लिए क्या प्रावधान किया गया है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि इन संस्थानों का व्यवसायीकरण हो जाये और गरीब बच्चों को कोई सुविधा न मिल पाये। मैं यह चाहता हूं कि इस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बरती जाये।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : स्पीकर सर, हरियाणा प्रांत के अंदर प्राईवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्राईवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर सरकार का कहां तक कंट्रोल है। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि अक्सर प्राईवेट यूनिवर्सिटीज में देखा गया है विशेष तौर पर जैसे एक यूनिवर्सिटी महर्षि मारकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना है It has been given a status of deemed university but when this deemed university does thousands of irregularities and taking money illegally, unauthorizedly from the people for making the admission then what is the check of the Government on these universities? Government must get teeth to control over these universities so far as there are discriminatory and discretionary powers are concerned. जब एम.बी.बी.एस. का एडमिशन होता है तो उस समय 30 लाख में और 40 लाख में एडमिशन हो रहा है There is no criteria for imparting the education to the students of the State. There has to be check for the capitation fee जो ये पैसे लेते हैं

[श्री भारत भूषण बतरा]

उनके ऊपर there should be some norms, there should be some restrictions and there should be some check. Otherwise, it will be again that a man who is with a big money can get admission and intelligent students will remain without admission, पीछे रह जायेंगे इसलिए सरकार को और विशेषकर शिक्षा मंत्री महोदय को इस बारे में अगर कोई विधेयक लाने की जरूरत महसूस होती है तो immediately there should be a system of checks & balances always in a democracy is required.

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री बत्तरा जी ने जो बात कही है मैं भी उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं यह एक तरह से शिक्षा के व्यवसायीकरण के केन्द्र बनती जा रही हैं। उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के जो पैमाने हैं उसकी गाइडलाइन्स को ये पूरी तरह से पूरा नहीं करती और यह बात ठीक है कि यहाँ पर सब कुछ बिकाऊ है। हमें इसको इतना इनक्रेज नहीं करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार ने राजीव गाँधी ऐजूकेशन सिटी बनाने के लिए बहुत बड़ी लैंड एक्वायर की हुई है तो इधर-उधर इनवैस्टमैंट करने की बजाय वहीं पर ही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बननी चाहिएं तथा उनके लिए नॉर्म्स बनाए जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं चलकर देखिये, हाउस की एक कमेटी बनाई जाये जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज पर विजिट करके देखे कि बच्चों की कितनी एक्सप्लायटेशन हो रही है।

Mr. Speaker : How many people support this?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

Mr. Speaker : You have made a very valuable point and a very valuable suggestion. Anybody who is supporting must make a speech.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, कल यहाँ पर जन लोकपाल बिल पर बहुत चर्चा हो रही थी तथा इसी तरह से पार्लियामैंट में भी चर्चा हो रही है उससे भी हमें गाइडलाइन्स मिलेंगी। इसको भी जन लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाये। साथ ही एक कमेटी भी बने जिसके अधीन इसको लाया जाये।

Mr. Speaker : Your suggestion is that the Lokayukta should look into the complaints against the Universities also and not the Committee of the House.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, Committee of the House is always welcome. अध्यक्ष महोदय, कमेटी तो फॉर दा टाईम बींग है और मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूँ।

Mr. Speaker : As far as there is a Committee of Estimates of the House, where my observation is, since I have also been a member of the Committee before I became a Speaker, that the Committee meetings should have been for formalities. When you call departments for oral examinations, how many of the Members are prepared with question, those can be put to the various departments, those are called in for cross examination or for that matter of oral examinations. My observation is that the Estimates Committee of this House is empowered to

look into all these aspects but if that Committee is not doing the desirable or the desirable effect is not coming, then to whom do you blame? Why don't we make our Committee is already existing so effective?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट यूनिवर्सिटीज तो इसमें कवर नहीं होती।

Mr. Speaker : Yes, it can. We are coming through a Bill.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, we have to make the provisions otherwise private universities does not come under the preview of Estimates Committee.

Mr. Speaker : Why?

Shri Anil Vij : Speaker Sir, only Government Departments are summoned there.

Mr. Speaker : No, Mr. Vij, Education Department comes.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, Education Department can be summoned but the Private Universities, Private Colleges, Private Schools are not summoned in the Estimates Committee.

Mr. Speaker : Education Department alongwith the Private University can also be called in. You can call the Education Department (Interruption). Are we making any provision for grants to these Universities.(Interruption).

Capt. Ajay Singh Yadav : No, Speaker Sir.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जब लैजिसलेशन पास हो जाएगा तो ओबियिसली ऐसा हो जाएगा। There should be something.

Mr. Speaker : Let the Act be there but a Committee of the House can be constituted. (interruption).

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, why not a legislation for ever.(interruption). Speaker Sir, we will request the Hon'ble Minister present here that there should be consultation with the officers and take the legal aspect and the Bill should be given amendments. The Government must have a teeth to have a check and balance on these universities.

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) : स्पीकर सर, बत्तरा जी और विज साहब ने बहुत ही वैलेड प्वायंट उठाया है। आपने भी इस बात को ऐप्रीशिएट किया है। इनके ऊपर कोई न कोई कंट्रोल होना ही चाहिए। इनके ऊपर अगर कोई कंट्रोल होगा तभी तो हम उनको लोकायुक्त के अधीन डाल सकेंगे और तभी हम इनको पी.ए.सी.,पी.यू.सी.या ऐस्टीमेटस कमेटी में बुला सकेंगे। अगर इस बारे में कोई लैजिसलेशन होगा और यदि ये कंट्रोल में होंगी तभी सारी कमेटीज उनको बुला सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन there should be something.

Mr. Speaker : I do not understand why the Committee can not call the Education Department.

Prof. Sampat Singh : Sir, that is a private institutions.

Mr. Speaker : The House is enacting a formula i.e. Bill.(interruption)

प्रो० सम्पत सिंह : सर, हम इसी बिल में अमैंडमैन्ट लाने के लिए कह रहे हैं। इसी बिल में अमैंडमैन्ट कर देनी चाहिए।

Mr. Speaker : Alright, amendment may be moved in this regard.

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, हम इसको लीगली ऐग्जामिन करवा लेते हैं उसके बाद जैसा कि सजैशन रखा है कि हाउस की कमेटी बनायी जाए तो बाकायदा हाउस कमेटी बनाने के बारे में सरकार सोच सकती है।

श्री अध्यक्ष : आप लीगली इसको एग्जामिन करवा लीजिए लेकिन हम हाउस कमेटी तो बना ही सकते हैं।

Capt. Ajay Singh Yadav : Speaker Sir, House Committee may examine all the facts. After that we will look into the matter.

Excise and Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Speaker Sir, when the Bills are brought in and they are put up for discussion in the House on every point that is being discussed if an amendment has to be brought in. It can be brought in by the Member. That can be worded at later point in time. So, let that provision be put in bringing amendment to that effect whatever they are saying. (interruption).

Mr. Speaker : O.K. You may move the amendments.(Interruption).

Shri Anil Vij : Sir, then I beg to move an amendment that a House Committee should be formed to look into the affairs of these private universities.

Prof. Sampat Singh : Sir, this is not like an amendment. This is only a suggestion. अमैंडमैन्ट तो बाकायदा फोर्म में आती है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन लीगली राय भी जरूरी है। आपने जो कमेटी बनाने वाली बात कही है तो that is right thing. एक कमेटी बना दी जाए और उसके बाद अमैंडमैन्ट इसी लैजिसलेशन के अंदर आ जाएगी। यह अच्छी बात है इसलिए यह लेकर आए हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज को हम उनके साथ जोड़ रहे हैं। पहले हमने एक यूनिवर्सिटी का प्रावधान कर रखा है लेकिन अब 6-7 यूनिवर्सिटीज को और जोड़ रहे हैं इसलिए यह अमैंडमैन्ट लेकर आए हैं। आब्जैक्शंज पढ़ लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर कंट्रोल है वहां भी हम पूरा कंट्रोल इन पर नहीं कर पाते हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि ईवन जो गवर्नमैंट ऐडेड कालेजिज हैं, गवर्नमैंट ऐडेड स्कूल्ज हैं उनके अंदर जो सिलैक्शन प्रोसीजर हैं उसमें वैसे तो ट्रांसपिरैन्सी है और गवर्नमैंट का आधिपत्य है क्योंकि गवर्नमैंट इनको कहीं पर 95 परसैंट और कहीं पर 75 परसैंट गदद करती है लेकिन किसी भी टाईम मैनेजमैंट का चेयरमैन मीटिंग को पोस्टपोन कर सकता है। स्पीकर सर, अब पहले वाले ट्रस्ट नहीं रहे हैं अब तो जिस तरह से आपके सामने ट्रस्ट आ रहे हैं वैसे हो गए हैं। अब वे पोलिटिकल ट्रस्ट बन चुके हैं। अब इनमें पोलिटिकल आदमी आ रहे हैं इसलिए इन्होंने मैनेजमैंट का सत्यानाश कर रखा है। रोजाना जगह जगह इंस्टीच्यूशंज में इस तरह की बातें आ रही हैं। जब भी मीटिंग में वी.सी. या डायरैक्टर का नोमिनी जाएगा तो उस मीटिंग

को मैनेजमैंट का चेयरमैन पोस्टपोन कर देगा क्योंकि ऐसा एक हथियार उनके पास है। हमारा कहना यह है कि यह हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए, कोई पोस्टपोन की बात नहीं होनी चाहिए। जब एक मीटिंग फिक्स कर दी तो that should be held and selection should be made on that very day. उसके अंदर यह प्रावधान होना चाहिए अदरवाइज उनमें जितनी पोस्ट हैं वह खाली पड़ी रहती हैं जिसके कारण बच्चे सफर करते हैं, उनकी पढ़ाई सफर करती है। उन्हें तो कुछ नहीं देना पड़ता है। हालांकि गवर्नमैंट कहीं पर इन्हें 95 परसैंट और कहीं पर 75 परसैंट पे करती है इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बदलाव आना चाहिए। सर, आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, अच्छी बात है ऐजुकेशन का फैलाव करना है। लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव गान्धी ऐजूकेशन सिटी, सोनीपत में बनाकर बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उस एरिया के अन्दर हर चीज का इन्फ्रास्ट्रक्चर उसी किस्म का डिवैल्प किया जा रहा है तो वे यूनिवर्सिटीज वहां क्यों नहीं आयें? सर, जो भी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज आयें उसी एरिया में आयें तभी उसी एरिया की डिवलैपमैंट हो पायेगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister are you coming up with a Government university in Southern Haryana?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, already we are having a Central University there in Mahendergarh i.e. in Dakshin Haryana. एक डिफैंस यूनिवर्सिटी भी वहां आ रही है।

Mr. Speaker : Where the Defence University is coming?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Sir, it is proposed to be coming in Gurgaon.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं जो कह रहा था कि जितनी यूनिवर्सिटीज को आप परमिशन दें उन यूनिवर्सिटीज को परमिशन देने के समय यह कंडीशन होनी चाहिए कि वे और जगह यूनिवर्सिटी बनाने की बजाए सोनीपत के एरिया में बनायें। सरकार जो यूनिवर्सिटीज बनाती है यह अपना इन्ट्रस्ट वाच करने के लिए बनाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही हरियाणा का कोई ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा जहां यूनिवर्सिटी नहीं बनाई हो। हमारे हिसार के अन्दर तो यूनिवर्सिटीज की झड़ी लगी है लोगों को याद नहीं है कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। हरियाणा के हर पार्ट में मैडिकल कालेज बनने हैं, हर पार्ट के अन्दर यूनिवर्सिटी बन रही हैं और जो पहले से बनी हैं उनको स्ट्रैंथन किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी आये तो उसमें सारी सुविधाऐं वहां पर देनी चाहिए जैसे राजीव गान्धी ऐजूकेशन सिटी हमने बनाया है उसमें सारी सुविधाएं हमने दी हैं। वे सारी की सारी इन्सटीच्यूशंज वहीं उसी एरिया में आनी चाहिए ताकि उस एरिया की डिवलैपमैंट होगी और वह इन्फ्रास्ट्रक्चर काम आयेगा। अदरवाईज उस ऐजूकेशन सिटी का परप्ज क्या रह जायेगा। चाहे वह इन्टरनेशनल या नेशनल लेवल की इन्सटीच्यूशंज आयें या दूसरी यूनिवर्सिटीज आयें तभी उस एरिया में फायदा होगा और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

Mr. Speaker : Do you want a controlling mechanism for reservation of seats to particular area or particular class of people in the private universities?

प्रो० सम्पत सिंह : सर, मैं पर्टीकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। जो राजीव गान्धी ऐजूकेशन सिटी बनाया गया है उस सिटी में इस तरह की प्राईवेट इस्टीच्यूशंज या प्राईवेट कम्पनीज आती हैं और वे अगर वहां पर यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हैं तो वहां आकर लैण्ड लें और गवर्नमैंट उनको लैण्ड दें।

श्री अध्यक्ष : क्या प्राईवेट यूनिवर्सिटीज में स्पेशल क्लासिज के लिए क्या कोई कोटा है या नहीं ?

प्रो० सम्पत सिंह : सर, कोटा नहीं है लेकिन कोटा तो होना चाहिए जो डिप्राईड क्लासिज हैं उनके लिए कोटा होना चाहिए। सरकार उनको बाकायदा अपने स्टेट का इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए दे रही है। जो रोड्ज जायेगी, बिजली जायेगी, पानी जायेगा, सीवरेज जायेगा और जो कुछ इस्तेमाल होगा रिसोर्सिज होंगे वे स्टेट के रिसोर्सिज यूज करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जो स्टेट के डिप्राईवड हैं और स्टेट की जो पोलिसी है उसके अनुसार उन लोगों को वर्क करना चाहिए। इसलिए उन डिप्राईवड लोगों के लिए सीटों का आरक्षण करें चाहे फीस के अन्दर कन्सेशन करें। जो भी सरकार के कोटे हैं चाहे स्पोर्टस कोटा हो। स्पोर्टस पर्सन आप भी हैं और थोड़ा बहुत मैं भी हूं और मुख्यमंत्री जी तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इसलिए हमारा तो इन्ट्रस्ट रहता है कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन का कोटा होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का कोटा होना चाहिए, हैण्डीकैप्ड का कोटा होना चाहिए, एस.सी. और बी.सी. का कोटा होना चाहिए और बी.पी.एल. का भी कोटा होना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon'ble Education Minister do you want to give some clarification?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Yes Sir, I want to make some clarifications. सर, हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट है और जो आज बिल लेकर आये हैं उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा की है। उन्होंने अपने बहुत कीमती सुझाव भी दिए हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जहां स्कूल ऐजूकेशन को हमने प्रायोरिटी दी है वहीं हायर ऐजूकेशन भी हमारे प्रायोरिटी सैक्टर में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर समय यह बात कही है जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम हरियाणा को हब बनाना चाहते हैं वहां पर विशेषतौर से सोनीपत की बात कही गई है। इन्टरनेशनल लेवल की ऐजूकेशन देना सरकार की सर्वोच्च प्रायोरिटी में शामिल है। कई बार गवर्नमैंट इन्सटीच्यूट बनाना सरकार के लिए संभव नहीं होता इसलिए जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी एक्ट बिल जो हम लेकर आये हैं उसमें प्राइवेट पार्टनर्स जो इस क्षमता में हैं वे बहुत अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ यहां पर यूनिवर्सिटीज क्रिएट करना चाहते हैं तो यह हरियाणा के बच्चों के हित में ही है और इस तरह हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उसी को देखते हुए हम दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट लेकर आए हैं। 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस समय हरियाणा में काम कर रही हैं। उनमें नए नए कोर्सिज चल रहे हैं चाहे वे जॉब ओरियंटिड कोर्सिज हैं या दूसरे कोर्सिज हैं। हमारे एक्ट में यह कंडीशन शामिल है कि एडमिशन में हरियाणा के बच्चों को 25 परसैंट मैरिट बेसिज पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक्ट में फीस की भी एग्जम्पशन का हमने मैंशन किया हुआ है। 25 परसैंट में से 5 परसैंट बच्चों को फीस में 100 परसैंट कंसैशन है, 10 परसैंट बच्चों को 50 परसैंट और 10 परसैंट बच्चों को 25 परसैंट फी कंसैशन है। हम न केवल राष्ट्रीय स्तर का बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

का एजूकेशन सिस्टम हरियाणा में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए मैं समझती हूं कि अच्छे प्राइवेट पार्टनर्स को यहां लेकर आना चाहिए। कुछ सदस्यों द्वारा यहां डीमड यूनिवर्सिटीज के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। डीमड यूनिवर्सिटीज में स्टेट का कंट्रोल कम रहता है इस बारे में भी यहां चर्चा हुई है। मुलाना यूनिवर्सिटी के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि That are the autonomy granted to the high performing institutes by the UGC itself इसलिए उसमें कई बार जरूर दिक्कत आती है लेकिन यहां पर मैम्बर्ज की तरफ से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, इस बारे में जरूर ध्यान दिया जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या हम 5 -6 से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि शिक्षा के स्तर में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का प्रयास है उसको बढ़ाने में हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अपना समर्थन दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रो० सम्पत सिंह जी कह रहे थे और जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एजूकेशन हब आने वाले 5-7 सालों में बनने जा रहा है। आप कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट को लें, आई.आई.एम.टी. से लेकर हर इंस्टीच्यूट चाहे लैदर इंस्टीच्यूट है, डिफैंस यूनिवर्सिटी है, चाहे साइंस साइड के इंस्टीच्यूटस हैं, चाहे फूड टैक्नोलोजी का इंस्टीच्यूट है या फिर कोई भी सैक्टर है, हर किस्म के इंस्टीच्यूट का इन्फ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एजूकेशन हब बनने जा रहा है। जहां तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात आई है तो उसमें हमने प्रावधान किया है कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहां पर लगेगी उसमें 25 परसैंट सीटस हरियाणा के बच्चों की होगी। 25 परसैंट में से 5 परसैंट बच्चों को फुल फी कंसैशन मिलेगा ताकि आम आदमी और गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके। 10 परसैंट बच्चों को 50 परसैंट और 10 परसैंट बच्चों को 25 परसैंट फी कंसैशन मिलेगा ताकि गरीब वर्ग का होशियार बच्चा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा ले सके। मैं प्रो० सम्पत जी को बताना चाहता हूं कि यहां जो शिक्षा का हब बनने जा रहा है वह हर स्तर के बच्चे के लिए बनने जा रहा है और खासकर हरियाणा के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इस प्रकार का प्रावधान प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल में रखा गया है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य अनिल धंतौड़ी जी ने बात कही थी कि Reservation for Scheduled Castes. हमने एडमिशन के लिए 25 परसैंट सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए रखी हैं जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी बताया है। इसके साथ साथ यह भी किया गया है कि out of these 10 % seats shall be reserved for Students belonging to the Scheduled Castes of the State of Haryana.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2011 be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Gita Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि पंजाब पैसेन्जर्स एण्ड गुडज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Excise and Taxation Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Excise and Taxation Minster (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Excise and Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Excise and Taxation Minster (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned sine die.

*13.34 hrs. (The Sabha then *adjourned sine die.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ LIBRARY

49321—H.V.S.—H.G.P., Chd.